अपडेट किया गया: 1 जुलाई, 2021

क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को प्रबंधित करने के लिए नियम व शर्तें

ये नियम और शर्तें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के प्रावधान पर लागू होते हैं और उन्हें विनियमित करते हैं.

I. परिभाषाएं और व्याख्या ''अफिलिएट'' का अर्थ है और इसमें शामिल हैं:

- कोई भी कंपनी जो आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग या सहायक कंपनी है, या–आईसीआईसीआई बैंक के नियंत्रण में या सामान्य नियंत्रण में एक व्यक्ति, या
- किसी भी व्यक्ति की, 26% या उससे अधिक वोटिंग सिक्योरिटीज़ (मतदान प्रतिभूतियों) में, आईसीआईसीआई बैंक के पास प्रत्यक्ष या बेनिफिशियल इंटरेस्ट या नियंत्रण है.

अफिलिएट की परिभाषा के उद्देश्य के लिए, जब किसी व्यक्ति के संबंध में ''नियंत्रण (कंट्रोल)'' का उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करने की शक्ति है, चाहे वह वोटिंग प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से, अनुबंध द्वारा या अन्यथा जो भी हो और ''व्यक्ति (पर्सन)'' का अर्थ किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, निगम, साझेदारी, ट्रस्ट या किसी अन्य संस्था या संगठन या अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति से है.

''आवेदक (एप्लिकेंट)'' का अर्थ है उस व्यक्ति(ओं) से है, जिसने आईसीआईसीआई बैंक में कार्ड के लिए आवेदन किया है.

''अधिकृत डीलर (औथोराइज्ड डीलर)'' का अर्थ है एक अधिकृत डीलर जो कि समय–समय पर संशोधनों के अधीन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999) में परिभाषित किया गया है.

''व्यापारिक दिन (बिजनेस डे)'' का अर्थ उस दिन से है जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक के संबंधित कार्यालय को आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) में निर्दिष्ट किया गया है या जिसके माध्यम से कार्ड प्रदान किया जाता है या ऐसा अन्य कार्यालय जिसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड धारक को सूचित किया जाता है, कि वह सामान्य व्यावसायिक लेनदेन के लिए खुला है.

''कार्ड'' या ''क्रेडिट कार्ड'' या ''EMI कार्ड'' या ''ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड'' या ''बिजनेस कार्ड'' या 'वीज़ा एमचेक क्रेडिट कार्ड' का मतलब है कि आवेदक के अनुरोध पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किया गया आईसीआईसीआई बैंक वीज़ा/AMEX/मास्टरकार्ड क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य क्रेडिट कार्ड है.

''एपिन (APIN)'' का अर्थ कार्ड के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को आवंटित या कार्ड सदस्य/आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर चुनी गयी व्यक्तिगत पहचान संख्या (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) से है. (वीज़ा एमचेक कार्ड पर लागू नहीं)

''कार्ड खाता (कार्ड अकाउंट)'' का अर्थ है कार्ड–सदस्य (कार्ड मेम्बर) के नाम से खोला गया खाता और यहां निहित नियमों और शर्तों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के उपयोग के उद्देश्य से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रबंधित किया गया.

''नकद–सीमा (कैश लिमिट)'' का अर्थ है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा परिभाषित या निर्धारित नकदी की अधिकतम राशि या नकद के बराबर राशि, जिसे कार्ड धारक अपने कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) पर उपयोग कर सकता है. नकद सीमा (कैश लिमिट) कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) की क्रेडिट–सीमा/खरीद सीमा (पर्चेस लिमिट) का सबसेट बनाती है. (वीज़ा mChek कार्ड पर लागू नहीं)

''शुल्क (चार्जेज)'' या ''शुल्क (चार्जेज)'' का अर्थ है ऐसे शुल्क (चार्जेज) जो इसके खंड VI (क्लॉज़ VI) में निर्धारित हैं या इन नियमों और शर्तों में कहीं भी उल्लिखित हैं. यहां उल्लिखित शुल्कों (चार्जेज) का संपूर्ण विवरण टैरिफ अनुबंध (एनेक्चर) में दिए अनुसार होंगा, जब तक कि समय–समय पर संशोधनों के अनुसार, कार्ड धारक को विशेष रूप से सूचित नहीं किया जाता है.

''कंपनी'' का अर्थ समय–समय पर संशोधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित कंपनी से है.

''क्रेडिट–लिमिट / खरीद (पर्चेस) लिमिट'' का अर्थ है उस सीमा तक जो कार्ड धारक अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने के लिए अधिकृत है.

''आईसीआईसीआई लिमिट'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जो क्रेडिट कार्ड के मालिक है, यह उत्तराधिकारी और स्वीकृत नियुक्ति होंगे.

''आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर'' आईसीआईसीआई बैंक–आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड सदस्यों (कार्ड मेम्बर्स) को प्रदान की जाने वाली फोन बैंकिंग सेवा को संदर्भित करता है.

''इन्फिनिटी'' URL www.icicibank.com में आईसीआईसीआई बैंक के मालिकाना हक के साथ स्थापित और प्रबंधित की जाने वाली आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा/वेबसाइट के व्यापार नाम को संदर्भित करता है.

''बीमा कंपनी (इंश्योरेंस कंपनी)'' का अर्थ है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या किसी अन्य बीमा कंपनी (इंश्योरेंस कंपनी) है, जो कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधनों के अधीन है.

''सदस्य (मेम्बर)'' या ''कार्डधारक (कार्ड होल्डर)'' या ''कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर)'' का अर्थ उस आवेदक (एप्लिकेंट) से है जिसके नाम पर कार्ड जारी किया जाता है और जो इस कार्ड को रखता (होल्ड) है.

''व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट)'' का अर्थ है वह संस्थान (एस्टाब्लिश्मेंट) जहां कहीं भी स्थित हो जो कार्ड को स्वीकृत करता है और इसमें अन्य, स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइंस, एटीएम और मेल ऑर्डर विज्ञापनदाताओं (चाहे खुदरा विक्रेता, वितरक या निर्माता) सहित नकद अग्रिम बिंदु (कैश एडवांस पॉइंट्स) शामिल करता है.

''व्यापारी (मर्चेंट)'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापारी संस्थान, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत नियुक्ती का मालिक या प्रबंधन या संचालन करता है.

''न्यूनतम देय राशि (मिनिमम अमाउंट ड्यू)'' या ''MAD'' का अर्थ, इस तरह के स्टेटमेंट में दी गयी राशि है. ''कुल देय राशि (टोटल अमाउंट ड्यू)'' या ''TAD'' का अर्थ, इस तरह के स्टेटमेंट में दी गयी कुल राशि है.

''भुगतान नियत तिथि (पेमेंट ड्यू डेट)'' का अर्थ हर महीने की उस तिथि से है, जिस पर कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए शुल्कों के संबंध में भुगतान विवरण (स्टेटमेंट) के माध्यम से सूचित किया जाता है.

''प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर)'' वह व्यक्ति है जिसके नाम पर कार्ड खाता (कार्ड अकाउंट) खोला गया है और जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है.

''आरबीआई (RBI)'' का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है.

''लेखा–विवरण (स्टेटमेंट)'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) के संबंध में प्राथमिक कार्ड–सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) और आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी पूरक कार्ड सदस्य (सप्लीमेंट्री कार्ड मेम्बर) की वित्तीय देनदारियों को बतलाने के लिए कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) को जो मासिक लेखा–विवरण/णों भेजा जाता है.

''पूरक कार्ड सदस्य (सप्लीमेंट्री कार्ड मेम्बर)'' का अर्थ प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के परिवार के सदस्य (मेम्बर) से है जो प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के साथ अपने रिश्ते के आधार पर कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) बन जाता है.

''टैरिफ एनेक्सचर'' का अर्थ कार्ड पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्कों का ब्यौरा देने वाला एक अनुबंध है. यह शुल्क आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं. हालांकि, शुल्कों (चार्जेज) में इस तरह के परिवर्तन कार्ड धारक को 30 दिन पूर्व सूचना देकर केवल संभावित प्रभाव से ही किए जा सकते हैं.

''लेन–देन निर्देश (ट्रांस्जेक्शन इंस्ट्रक्शन)'' का अर्थ है किसी कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आईसीआईसीआई बैंक और/या आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र और/या अनंत माध्यम से लेनदेन को प्रभावित करने के लिए दिया गया कोई भी निर्देश है. लेन–देन निर्देश (ट्रांस्जेक्शन इंस्ट्रक्शन) में चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप या मेल ऑर्डर कूपन शामिल होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा.

इन ''नियम व शर्तों'' का अर्थ, समय–समय पर संशोधन के अधीन यहाँ निहित नियम व शर्तें और/या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियम व शर्तें है. इन नियम व शर्तों में, जब तक कि कोई गलत प्रायोजन दिखाई ना दें:

a) एक ''संशोधन (अमेम्डमेंट)'' के संदर्भ में एक पूरक, संशोधन, नवीनता, प्रतिस्थापन या पुनर्मूल्यांकन शामिल है और तदनुसार ''संशोधन (अमेंडेड)'' का अनुवाद किया जाना है; एक ''प्राधिकरण'' या ''अनुमोदन'' में एक प्राधिकरण, सहमति, मंजूरी, अनुमोदन, अनुमति, संकल्प, लाइसेंस, छूट, फाइलिंग और पंजीकरण शामिल है; ''कानून'' में कोई भी संविधान, अधिनियम, कानून, नियम, विनियमन, अध्यादेश, निर्णय, आदेश, डिक्री, प्राधिकरण, या कोई भी प्रकाशित, निर्देश, दिशानिर्देश, आवश्यकता या सरकारी प्रतिबंध जिसमें कानून का दबाव हो, या कोई निर्धारण, या व्याख्या शामिल है पूर्वगामी में से किसी के द्वारा, किसी भी न्यायिक प्राधिकरण, चाहे वह आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) पर हस्ताक्षर करने/प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार या उसके बाद और समय–समय पर संशोधन के रूप में प्रभावी हो.

b) एकवचन में बहुवचन (और विलोमत:) शामिल है.

c) इन नियम व शर्तों में शीर्षक केवल संदर्भ को आसानी से समझाने के लिए डाले गए हैं और नियम व शर्तों को बनाते एवं अनुवाद करते समय इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

d) ''शामिल'' या ''सहित'' शब्दों के संदर्भ को बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा;

e) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और नपुंसक लिंगों के संदर्भ शामिल होंगे;

f) किसी भी मामले के लिए आईसीआईसीआई बैंक से आवश्यक सभी अनुमोदन, अनुमति, सहमति या स्वीकृति के लिए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति, अनुमति, सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता होगी;

g) वीज़ा/मास्टरकार्ड विनियमों के संदर्भों में अपने नेटवर्क के सभी सदस्य (मेम्बर) बैंकों को वीज़ा/मास्टरकार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश शामिल हैं.

h) आईसीआईसीआई बैंक और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के बीच किसी भी घटना, हादसे, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, अधिनियम, चूक, दावों, उल्लंघन, डिफ़ॉल्ट या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के बारे में किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, आईसीआईसीआई बैंक का निर्णय किसी भी पूर्वगामी की भौतिकता के रूप में अंतिम और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) पर बाध्यकारी होगा.

i) कार्ड या अन्य जगहों पर ''आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड एग्रीमेंट'' शब्दों के उपयोग का मतलब इन नियमों और शर्तों से है.

II. कार्ड सेवाएँ

यह कार्ड आईसीआईसीआई बैंक की संपत्ति है. आईसीआईसीआई बैंक अपना अधिकार सुरक्षित रखता है: (1) क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट प्राप्त कर आवेदक (एप्लिकेंट) की लोन योग्यता का पता लगाएं और ऐसी अन्य रिपोर्ट जो आवश्यक हो, और (2) किसी भी आवेदक (एप्लिकेंट) को अपने अधिकार के तहत कार्ड जारी ना करना. कार्ड हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग यहां उल्लिखित शर्तों और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन अतिरिक्त शर्तों के अधीन है. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को कार्ड प्राप्त होने पर तुरंत कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने होंगे. आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र और/या अनंत सेवाएँ सभी कार्ड सदस्यों के लिए उपलब्ध है. आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र और/या अनंत सेवाओं के माध्यम से क्रेडिट सीमा में बढ़ोतरी, लेनदेन पर पूछताछ, कुल देय राशि (टोटल अमाउंट ड्यू), लेखा विवरण, भुगतान देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) इत्यादि सहित किसी भी सेवा/सुविधाओं का लाभ उठाने वाले कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) सेवाओं/सुविधाओं और समय-समय पर संशोधित ऐसी सुविधाओं/सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों से हमेशा बंधे रहेंगे.

III. कार्ड का उपयोग

(a) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्ड की वैधता के मामले में, नीचे दिए गए क्लॉज़ III(h) में दिए गए विवरण को छोड़कर दुनियाभर में मान्य है. अन्य कार्डों के मामले में, भारत में वीज़ा/वीए इलेक्ट्रॉन क्रेडिट कार्ड/मास्टरकार्ड/एएमईएक्स (AMEX) स्वीकार करने वाले केवल व्यापारिक संस्थानों पर उपयोग प्रतिबंधित है. हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक और संबंधित व्यापारिक संस्थान, किसी भी समय, किसी भी कारण से उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में क्रेडिट कार्ड के उपयोग से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं. क्रेडिट कार्ड का उपयोग वास्तविक रूप से व्यक्तिगत या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा इसके गलत उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

यदि व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिशमेंट) द्वारा खरीद या अन्य सुविधा के लाभ के लिए कोई शुल्क लगाया जाता है, तो कार्ड धारक द्वारा किए गए शुल्क पर, उसे व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिशमेंट) के साथ निपटाया जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक को इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा. व्यापारिक संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिशमेंट) में कार्ड के उपयोग पर, कार्ड सदस्य को चार्ज–स्लिप पर हस्ताक्षर करते समय चार्ज–स्लिप की प्रति प्राप्त करनी होगी. चार्ज–स्लिप पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) जिम्मेदार होगा; यदि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा चार्ज–स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, तो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) लेनदेन/उसके संबंध में सभी शुल्कों (चार्जेज) के लिए उत्तरदायी रहेगा. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को चार्ज–स्लिप की प्रतियां प्रदान नहीं करता है; बशर्ते कि यदि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) इन संबंधित लेनदेन के पैंतालीस दिनों के भीतर ऐसा करने के लिए अनुरोध करता है, तो आईसीआईसीआई बैंक अपने विवेकाधिकार पर टैरिफ एनेक्चर (अनुबंध) में उल्लिखित शुल्क (चार्जेज) पर चार्ज– स्लिप की प्रतियां प्रदान कर सकता है. आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर कार्ड धारक को मेल ऑर्डर या टेलीफोन ऑर्डर खरीद को प्रभावी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो सकता है.

ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेनदेन/मेल ऑर्डर तक ही सीमित होगा. एक ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड केवल एक पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड)/ऐड–ऑन कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा, न कि प्राथमिक कार्ड (प्राइमरी कार्ड) के रूप में, या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर अपने स्वविवेकानुसार पर सूचित किया जा सकता है. वीज़ा एमचेक (mCHECK) कार्ड का उपयोग मोबाइल के माध्यम से भुगतान और/या खरीदारी करने तक ही सीमित होगा. एक वीज़ा एमचेक (mCHECK) कार्ड केवल एक पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा, न कि प्राथमिक कार्ड (प्राइमरी कार्ड) के रूप में, या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर अपने स्वविवेकानुसार पर सूचित किया जा सकता है. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) इस बात से अवगत है है कि मेल ऑर्डर, टेलीफोन ऑर्डर या मोबाइल पर खरीदी के मामले में, खरीद करते समय कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. तदनुसार, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) यह स्वीकारता है कि किसी भी तरह की खरीद या शुल्क (चार्जेज) की प्रमाणिकता या वैधता या किसी भी अन्य कारण को लेकर विवादित स्थिति पैदा होने के मामले में, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान कर देगा.

b) सभी प्रकार के विवाद कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) और व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) के बीच का मामला होगा और साथ ही यह उन दोनों द्वारा निपटाया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

c) कार्ड का उपयोग किया जा सकता है: (i) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को अधिसूचित क्रेडिट–सीमा के भीतर; और (ii) महीने की अंतिम तिथि के बाद नहीं किया जा सकता है.

d) कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के कार्ड का उपयोग करने का अधिकार तत्काल रूप से तय किया जाएगा: (i) नीचे दिए गए खंड (क्लॉज़) त के अनुसार कार्ड की समाप्ति की स्थिति में; या (ii) कार्ड के खो जाने/दुरुपयोग या चोरी होने की स्थिति में.

e) कार्ड के उपयोग से, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) का स्थायी रूप से यह अनुरोध किया जाना आवश्यक है कि प्रत्येक कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को कार्ड की अवधि का नवीनीकरण और/या प्रतिस्थापन कार्ड तब तक जारी किया जाएगा जब तक कि आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र/इन्फिनिटी को कार्ड सदस्य द्वारा सूचित नहीं किया जाता है, और इस तरह का नवीनीकरण और/या प्रतिस्थापन आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार के अधीन होगा.

f) क्रेडिट कार्ड क्लोजर प्रोग्राम होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के समय, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अपने विवेकाधिकार पर एक कार्ड प्रकार प्रदान करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है जो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा रखे गए मौजूदा कार्ड प्रकार से अलग है. किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के विवेकाधिकार के अनुसार तय होगी.

g) कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को कार्ड और आईसीआईसीआई बैंक के साथ सभी लेन–देन के संबंध में हर समय सद्भावपूर्वक काम करना चाहिए.

h) कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को जारी किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कार्ड नेपाल और भूटान में व्यापारिक संस्थानों (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) में विदेशी मुद्रा (फॉरेन एक्सचेंज) में भुगतान को छोड़कर दुनिया भर में मान्य है. कार्ड के संबंध में, जिसका उपयोग केवल भारत/नेपाल/भूटान में प्रतिबंधित है, भारत/नेपाल/भूटान के बाहर उपयोग ''विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम'' (फेमा) या किसी अन्य संबंधित कानून का उल्लंघन है. कार्ड सदस्य इन शर्तों के उल्लंघन में गलत उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और आईसीआईसीआई बैंक को किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज,

रूपांतरण, कोई अन्य वित्तीय शुल्क जो कार्ड धारक द्वारा उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई बैंक को वहन और/या भुगतना पड़ सकता है, की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमती देगा.

i) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कार्ड का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर किया जा सकता है जिसके लिए भारत में अधिकृत डीलर से एक्सचेंज खरीदा जा सकता है.

j) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कार्ड और अन्य सभी कार्डों का उपयोग इंटरनेट पर या अन्यथा लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या बहिष्कृत पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक्स में भागीदारी, कॉलबैक सेवाओं के लिए भुगतान, विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार की ओर किसी भी रूप में प्रेषण, विदेशी बाजारों/विदेशी प्रतिपक्षों को मार्जिन कॉल, घरेलू/विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में व्यापार आदि वर्जित वस्तुओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है.

k) अधिकृत व्यापारी भारत से बाहर किए गए निर्यात के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करते हैं, फिर चाहे वह ग्राहक भारत में हो या ना हो. इसलिए, अधिकृत व्यापारी आयातक के लिए क्रेडिट कार्ड से डेबिट करके भारत से बाहर किए गए निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए कार्ड जारी करने वाले बैंक/संगठन से प्रतिपूर्ति के रूप में विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाएगी.

l) आईसीआईसीआई बैंक बिना कारण बताए कार्ड पर प्राधिकरण अनुरोधों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है. कुछ मामलों में, अपने विवेकाधिकार के अधीन, आईसीआईसीआई बैंक कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को लेनदेन को स्वीकृति देने और कार्ड खाते में चार्ज करने से पहले उसे प्रमाणित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करने की आवश्यकता की मांग कर सकता है.

(i) कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) सहमत है कि वह किसी भी अवैध/गैरकानूनी खरीद/ गलत उद्देश्यों के भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेगा/गी.

(ii) क्रेडिट कार्ड केवल व्यक्तिगत खर्चों और उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है. कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) को वाणिज्यिक (कमर्शियल) या व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रीसेल में कुछ भी खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल वैध, वास्तविक रूप से व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग, असामाजिक या सट्टा गतिविधियों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या व्यवसाय में व्यावसायिक रूप से इसका गलत इरादे से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, वर्किंग कैपिटल उद्देश्यों के लिए).

M) यदि क्रेडिट कार्ड का उपयोग वर्जित, प्रतिबंधित, वाणिज्यिक (कमर्शियल) उद्देश्यों या ऊपर उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, संबंधित क्रेडिट कार्ड और उसके अतिरिक्त/ऐड–ऑन कार्ड के बारे में कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) को सूचित किए बिना बंद करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है. आईसीआईसीआई बैंक को फोन पर या औपचारिक पत्र व्यवहार के अन्य साधनों के माध्यम से पूछताछ करने और क्रेडिट कार्ड लेनदेन, उपयोग के पैटर्न आदि के बारे में विवरण, सूचना, प्रमाण आदि प्राप्त करने का अधिकार रखता है और कार्डधारक समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य है. असंतोषजनक प्रतिक्रियाएं या कार्डधारक से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड को अवरुद्ध/बंद करने का कारण बन सकता है.

(i) कार्डधारक (कार्ड होल्डर) को क्रेडिट कार्ड से पहले खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं के लिए रिफंड के अलावा किसी भी अन्य कारण से कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) में क्रेडिट प्राप्त या पेश नहीं करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड पर लेनदेन की अनुमति केवल कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) पर शेष कुल क्रेडिट सीमा राशि तक ही दी जाएगी.

IV. मौजूदा बचत खाते के साथ कार्ड को लिंक करना, यदि कोई हो

आवेदक स्वीकार करता/ती है और सहमत है कि उसका कार्ड आईसीआईसीआई बैंक के विवेक पर उसके मौजूदा आईसीआईसीआई बैंक बचत खाते, यदि कोई हो, के साथ जोड़ा जाएगा. आवेदक आगे स्वीकार करता है और समझता है कि इससे वह इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और आईमोबाइल सुविधा के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक बचत खाते के तहत उसे प्रदान की गई मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके अपने कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) के उपयोग को आसान बनाता है. आवेदक उक्त उद्देश्य के लिए आवेदक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी विवरण का उपयोग करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को सहमति प्रदान करता है और अधिकृत करता है. आवेदक समझता है कि वह आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके अपने आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते को अपने कार्ड से डीलिंक कर सकता है.

V. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर)

कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को कार्ड का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने से पहले, व्यक्तिगत पहचान संख्या (APIN) जारी की जाएगी. APIN उसे मेल किया जाएगा और यह किसी सीलबंद लिफ़ाफ़े में नहीं भेजा जाता है* और इसके लिए कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) आईसीआईसीआई बैंक की शाखा या आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करेगा. इस APIN को बाद में कार्ड धारक द्वारा अपने जोखिम पर एटीएम या आईसीआईसीआई बैंक शाखा या

आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर में बदला जा सकता है. APIN कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को उपयोग करने में सक्षम बनाता है और कार्ड सदस्य APIN का उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ–साथ ऐसे APIN का उपयोग करके कार्ड खाते में दर्ज सभी ऑर्डर्स और सूचना परिवर्तनों के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) APIN को किसी भी तरह से रिकॉर्ड नहीं करेगा ताकि APIN को कोई तीसरा व्यक्ति जान ना पाएं. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा APIN द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिकृत है और इसे रद्द नहीं करेगा. आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के APIN के सत्यापन के अलावा अन्य कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा भेजे गए या कथित रूप से भेजे गए लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कोई दायित्व नहीं है. APIN को सुरक्षित रखने के लिए कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को यहाँ उल्लिखित उपायों सहित हर उचित कदम उठाने होंगे. यदि कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो वह आईसीआईसीआई बैंक के लिए उत्तरदायी हो सकता है. आईसीआईसीआई बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से मौजूदा कार्ड पर नया APIN जारी कर सकता है. यहां बतलाए गए प्रावधानों के अधीन और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किए अनुसार, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) कार्ड और/या APIN के किसी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लीकेट/गलत उपयोग होने पर आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे. आईसीआईसीआई बैंक किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों में कार्ड आने या APIN की जानकारी होने पर तीसरे व्यक्ति द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग करने पर उत्तरदायी नहीं होगा. यदि कोई तीसरा व्यक्ति कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) सहित सेवाओं को प्राप्त करता है, तो इसके लिए कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) उत्तरदायी होगा और आईसीआईसीआई बैंक को ऐसा करने और उपयोग के आधार पर या अन्य से संबंधित तीसरे व्यक्ति द्वारा इस तरह के दुरुपयोग/उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता, लागत या क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा. वीजा mCheck क्रेडिट कार्डधारकों (कार्ड होल्डर) के लिए पिन जारी नहीं किया जाता है.

क्रेडिट कार्ड सदस्यों (कार्ड मेम्बर्स) को APIN उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा. मोबाइल नंबर पंजीकृत ना होने पर अझखछ को मैलिंग एड्रेस पर भेजा जाएगा. APIN प्राप्त ना होने पर, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करके या इंटरनेट बैंकिंग/imobile के माध्यम से इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर) पर इसे जारी कर सकता है. यदि कार्ड सदस्य गलत पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

VI. उल्लंघन और समाप्ति/वापसी

(a) उल्लंघन: कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा इनमें से किसी भी नियम व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में; (i) इन नियमों और शर्तों के अन्य प्रावधान के होते हुए भी, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) का इस तरह के उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए स्वयं उत्तरदायी रहेगा; तथा (ii) कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, मांग करने पर, कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) को आईसीआईसीआई बैंक को सभी बकाया राशि, फिर चाहे मांग करने की तिथि पर आईसीआईसीआई बैंक को देय हो या नहीं. (b) समाप्ति/वापसी: कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) किसी भी समय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, , आईसीआईसीआई फोन बैंकिंग सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, 7वीं मंजिल, सर्वे नं. 115/27, प्लॉट नं. 12, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500032, भारत, से कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को समाप्त करने का अनुरोध कर सकता है.

(i) उपरोक्त नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कार्ड के ऊपरी दाएं कोने को काटकर यह सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी दोनों को काट दिया गया है (ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और वीज़ा एमचेक क्रेडिट कार्ड को छोड़कर), और आईसीआईसीआई बैंक को प्राप्त हुआ है. उपरोक्त कहे अनुसार संभाले, इससे ना तो कार्ड खाता (कार्ड अकाउंट) और ना ही किसी भी कार्ड को समाप्त किया जा सकता है.

(ii) यदि कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा करने के बाद कार्ड पर शुल्क लगाया जाता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड प्राप्त नहीं किया गया है, तो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) कार्ड पर किए गए शुल्क के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा, फिर चाहे वह दुरुपयोग का परिणाम हो या आईसीआईसीआई बैंक को कार्ड के नष्ट होने के बारे में सूचित किया गया हो या नहीं.

(iii) आईसीआईसीआई बैंक किसी भी समय, सूचित कर या सूचित किए बिना, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार पर आवश्यकता के अनुसार, कार्ड खाते और कार्ड को समाप्त कर सकता है. कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) के आईसीआईसीआई बैंक में दो या उससे अधिक कार्ड खाता (कार्ड अकाउंट) है, जो इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत आटे हैं और किसी एक कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान करने में चूक करता है, तो आईसीआईसीआई बैंक अन्य सभी आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड खाते/तों (कार्ड अकाउंट/ट्स) के तहत कार्ड धारक को उपलब्ध

कराई गई क्रेडिट सीमा पर रोक लगाने और साथ ही ऐसे सभी कार्ड खाते के तहत उपलब्ध कराए गए विशेषाधिकारों/लाभों को वापस लेने के लिए अधिकृत है, जब तक कि कार्डधारक (कार्ड होल्डर) द्वारा डिफ़ॉल्ट कार्ड खाते/तों को नियमित नहीं किया जाता है. कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) सहमती देता स्वीकार करता है कि आईसीआईसीआई बैंक को उपरोक्त के लिए कोई अतिरिक्त नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी.

(iv) कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) की समाप्ति पर और इसके विपरीत आईसीआईसीआई बैंक और कार्ड धारक के बीच किसी पूर्व समझौते के बावजूद: (a) तब बकाया सभी शुल्कों का योग, चाहे पहले से ही लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में प्रतिबिंबित हो या नहीं और, (b) समाप्ति (प्रासंगिक लेनदेन निर्देश की तिथि से प्रभावी) के बाद किए गए किसी भी वोलंटरी चार्जेज की राशि तत्काल देय होगी और जो भी राशि दर्शित होगी कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा अदा की जाएगी और और उस पर ब्याज उस तिथि से उपार्जित होगा जिस तिथि से ऐसे शुल्क (चार्जेज) लगाए गए हैं, जैसा कि समय–समय पर लागू होता है.

(v) आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, अस्थायी या स्थायी रूप से, बिना सूचना दिए या कारण बताए कार्ड पर अपने विशेषाधिकारों को वापस लेने और/या कार्ड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अस्थायी वापसी के मामले में, विशेषाधिकारों को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर बहाल किया जा सकता है. स्थायी वापसी के मामले में, आईसीआईसीआई बैंक को कार्ड सदस्य की स्थायी रूप से सदस्यता को अस्वीकृत करने का अधिकार है. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि वापसी (अस्थायी या स्थायी) कार्ड से जुड़े सभी सहायक लाभों, विशेषाधिकारों और सेवाओं की स्वत: वापसी होगी. इस तरह की अस्थायी या स्थायी वापसी के मामले में, जब तक आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक इस तरह की वापसी से पहले कार्ड पर लगने वाले सभी शुल्कों (चार्जेज) के साथ–साथ अन्य सभी शुल्कों (चार्जेज) के लिए कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगा. कार्ड पर दी गयी वैधता अवधि को ध्यान में रखे बिना कार्ड वापस लिया जा सकता है और कार्ड खाता (कार्ड अकाउंट) किसी भी समय बंद किया जा सकता है. ऐसा करने के अनुरोध करने पर, कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) आईसीआईसीआई बैंक या उसके प्रतिनिधी को कार्ड वापस करने के लिए सहमती देता है. अपने विशेषाधिकारों को वापस लेने की सूचना के बाद कार्ड का उपयोग करना धोखाधड़ीसमझा जाएगा और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

VII. शुल्क (चार्जेज) और भुगतान:

(A) वोलंटरी चार्जेज (स्वैच्छिक शुल्क) में शामिल होंगे: लेन–देन निर्देश द्वारा किए गए माल और/या सेवा की किसी भी तरह की खरीदी की राशि; लेन–देन निर्देश के अनुसार प्रदान की गई किसी भी नकद अग्रिम की राशि; और ऐसी कोई भी राशि, जिसे कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) ने लेनदेन निर्देश के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक से कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) से डेबिट करने का अनुरोध किया है.

(B) वोलंटरी चार्जेज (स्वैच्छिक शुल्क) में शामिल होंगे: कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) या कार्ड के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जॉइनिंग, वार्षिक, प्रतिस्थापन, रिन्यूअल (नवीनीकरण), हैंडलिंग, लेट पेमेंट और अन्य शुल्क सहित कोई भी शुल्क लिया गया हो. जॉइनिंग/वार्षिक शुल्क आईसीआईसीआई बैंक की प्रचलित दरों के आधार पर कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) से डेबिट की जाएंगी. यह शुल्क वापस नहीं की जाएंगी. सदस्यता (मेम्बरशिप) के नवीनीकरण के लिए एक वार्षिक शुल्क कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा कार्ड की पहली वर्षगांठ पर या उससे पहले देय होगी. आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर तय किए गए विशेष प्रकार के लेनदेन पर सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेज) लगाया जा सकता है. इनवोलंटरी चार्जेज (अनैच्छिक शुल्कों) की गणना की पद्धति आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर सूचित की जाएगी.

(C) किसी भी शुल्क (चार्जेज) की राशि का आईसीआईसीआई बैंक का रिकॉर्ड, जो ऊपर निर्दिष्ट है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटी के अभाव में, कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा, और ऐसे किसी भी मामले में निर्णायक होगा जहां आईसीआईसीआई बैंक ने वोलंटरी चार्जेज (स्वैच्छिक शुल्क) के अनुसार कोई भुगतान किया है. सभी वैधानिक कर, जीएसटी, अन्य सभी चुंगी कर, शुल्क (कार्ड के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी और उचित पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, उसके सहित) और कर (विवरण सहित) जो समय–समय पर सरकार य अन्य प्राधिकरण द्वारा कार्ड के संबंध में लगाए जा सकते हैं.

(D) विलंबित या संशोधित शुल्क (चार्जेज)

(a) एक व्यापारी (मर्चेंट) विलंबित या संशोधित शुल्कों को संसाधित कर सकता है यदि कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) ने होटल, कार रेंटल कंपनी, या क्रूज़ लाइन लेनदेन या इस तरह के किसी अन्य लेनदेन के लिए विलंबित या संशोधित शुल्कों के लिए जिम्मेदारी उठाने की सहमति दी है.

(b) विलंबित या संशोधित शुल्क संबंधित लेनदेन की लेनदेन तिथि के ९० दिनों के भीतर कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) में संसाधित किया जाएगा.

(c) इन लेन–देन में कमरे, भोजन या पेय शुल्क, कर, ईंधन, बीमा, किराये की फीस, किराये के वाहनों को नुकसान, पार्किंग टिकट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन शुल्क और एक क्रूज लाइन पोत पर सामान और सेवाओं की खरीदी शामिल हो सकते हैं.

(E) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध कार्ड के अलावा अन्य कार्डों के संबंध में विदेशी मुद्रा में शुल्क, आईसीआईसीआई बैंक ध्यान में लेने के लिए बाध्य नहीं होगा, और अन्य क्षेत्रों नेपाल और भूटान के अलावा विदेशी मुद्रा में किए गए किसी भी शुल्क के संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा. उपरोक्त कहे को हानि पहुंचाए बिना, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए ऐसे शुल्कों का कोई भी भुगतान कार्ड सदस्य की पूर्ण सहमति के साथ होगा, और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस तरह के शुल्क या भुगतान के संबंध में किसी भी दायित्व के कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को मुक्त के रूप में नहीं माना जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक को कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा इस तरह के भुगतानों के सभी परिणामों के लिए पूरी तरह से क्षतिपूरित और अहानिकर माना जाएगा.

(F) रेलवे के साथ लेनदेन:

जब क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक किया जाता है, तो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को टिकट की खरीदी के लिए भुगतान करना होगा, यदि कोई अतिरिक्त शुल्क लागू हो, तो वो भी अदा करनी होगी. बाद में रद्द की गयी किसी भी टिकट के लिए राशि केवल कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) (रद्दीकरण शुल्क घटाकर) में जमा की जाएगी, और उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा क्रेडिट प्राप्त किया जाएगा. हालांकि, कार्ड धारक (कार्ड होल्डर) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज स्लिप सफलतापूर्वक जमा करने पर, रद्द करने की तिथि से 150 दिनों के भीतर खरीद की तारीख की पुष्टि करने वाले एक पत्र के साथ, रद्द करने की तिथि और विवरण की एक प्रति जिसमें टिकट की खरीद के लिए डेबिट की गयी राशि दर्शायी गयी है, और फिर क्रेडिट कार्ड सदस्य के कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) में पोस्ट किया जाएगा. जैसा लागू होगा लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा.

(G) ईंधन (फ्यूल) स्टेशनों पर लेनदेन:

जब कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) ईंधन का भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग करता है, तो उससे शुल्क अनुबंध (टैरिफ एनेक्सचर) में उल्लिखित लेनदेन शुल्क लिया जाएगा.

ऑफ अस टर्मिनलों और गैर एचपीसीएल आउटलेट्स पर ईंधन खरीद पर, सरचार्ज रिवर्सल में जीएसटी शामिल नहीं होगा.

(H) जैसे ही क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने पर कोई शुल्क लगता है, तो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) उसे भरने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा. यदि पेमेंट ड्यू डेट पर राशि बकाया (चाहे बिल किया गया हो य नहीं) है, तो इस तरह के बकाया पर टैरिफ अनुबंध में निर्दिष्ट शुल्क लागू होंगे. शुल्क (चार्जेज) की गणना औसतन दैनिक शेष (बैलेंस) राशि के अनुसार की जाती है और इसे निम्नलिखित में से किसी एक तिथि से लगाया जाएगा: शुल्क माल या सेवा की खरीदी के संबंध में इसे आईसीआईसीआई बैंक के रिकाड्र्स में खरीदी की तिथि पर जोड़ा जाएगा. नकद निकासी के संबंध में, इस तरह की निकासी की तिथि से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक.

(I) अपने उत्तरदायित्व को हानि पहुंचाएं बिना कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को पेमेंट ड्यू डेट पर या उससे पहले सभी शुल्कों का भुगतान करना चाहिए, जैसा कि लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दिया गया है, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) पेमेंट ड्यू डेट पर या उससे पहले भुगतान करने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू (MAD) दर्शया गया है. MAD कुल देय राशि का 5% होगा, या ऐसी अन्य राशि जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित की जा सकती है. किश्तों के माध्यम से किसी भी पुनर्भुगतान के मामले में, विवरण अवधि के दौरान देय किश्त राशि मिनिमम अमाउंट ड्यू (न्यूनतम देय राशि) में जोड़ दी जाएगी. यदि कुल बकाया क्रेडिट या नकद सीमा से अधिक है, तो वह राशि जिसमें क्रेडिट या नकद सीमा से अधिक है, उसमें भी MAD जोड़ा जाएगा.

मिनिमम अमाउंट ड्यू (न्यूनतम देय राशि) में पिछले लेखा–विवरणों (स्टेटमेंट्स) की बकाया न्यूनतम राशि, यदि कोई हो, भी शामिल होगी. ऐसे मामलों में जहां केवल MAD का भुगतान किया गया है, लेनदेन की तिथि से टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) की शेष राशि पर ब्याज लगाया जाएगा. जहां कार्ड धारक केवल MAD का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग करता है, वह अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित विशेष नियमों और शर्तों के अधीन होगा:

(a) लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दिए गए पेमेंट ड्यू डेट तक टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) या मिनिमम अमाउंट ड्यू (न्यूनतम देय राशि) (MAD) के बराबर राशि या उससे अधिक राशि लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) के प्राप्त होने पर, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) निम्नलिखित तरीकों–इंफिनिटी भुगतान, चेक

भुगतान, ड्राफ्ट भुगतान, नकद भुगतान, ऑटो डेबिट भुगतान, RTGS भुगतान, भुगतान या NEFT भुगतान के लिए क्लिक कर भुगतान कर सकता है.

(b) कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों पर (उपरोक्त क्लॉज़ (H)) के तहत बताए गए तरीके से सेवा शुल्क लगेगा.

(c) यदि MAD के लिए भुगतान किया जाता है या टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) से कम राशि के लिए भुगतान किया जाता है, तो खरीदी की तिथि से कुल बकाया राशि पर ब्याज और सेवा शुल्क लागू होंगे, और आगे की गयी नई खरीदी के लिए भुगतान उसकी भुगतान तिथि पर किया जाएगा. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त, यदि मिनिमम अमाउंट ड्यू (न्यूनतम देय राशी (MAD) का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो लेट पेमेंट चार्जेज (विलंभ भुगतान शुल्क) लागू होंगे. किसी भी MAD या उसके हिस्से का भुगतान किया गया है उस पर भुगतान तिथि के बाद ब्याज लगना बंद हो जाएगा यदि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) ने आईसीआईसीआई बैंक को उसका भुगतान कर दिया है.

* आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के संबंध में पूर्वनिश्चित क्लॉज़ में वर्णित केवल MAD का भुगतान करने का विकल्प वापस ले सकता है. जब तक आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इसके लिए सहमति नहीं दी जाती है, किसी विशेष विवरण में निर्दिष्ट राशियों के विरुद्ध कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) से प्राप्त किसी भी भुगतान को 20 अक्टूबर 2008 से निम्नलिखित क्रम में ऐसे बकाया के लिए विनियोजित किया जाएगा:

1. सभी कर, फीस, ब्याज, लागत, शुल्क और खर्चें;
2. क्रेडिट काड्‌र्स पर व्यक्तिगत लोन और बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी (शेष हस्तांतरण सुविधा) पर देय किश्तों का भुगतान;
3. खुदरा (रिटेल) खरीदी के लिए किश्तों में भुगतान (जहां खुदरा (रिटेल) खरीदी के लिए भुगतान को किश्तों में परिवर्तित किया गया है);
4. नकद निकासी और फोन सुविधा पर ड्राफ्ट के लिए भुगतान;
5. बैलेंस ट्रांसफर सुविधा के अन्य प्रकारों के लिए किए गए भुगतान जिसका कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) ने लाभ प्राप्त किया हो;

6. खुदरा खरीदी के लिए भुगतान.

उपरोक्त में निहित के साथ: (i) आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेक पर, संबंधित दस्तावेजों में निर्दिष्ट क्रम में या अन्यथा, आईसीआईसीआई बैंक से कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाओं के संबंध में कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के लिए ऐसे भुगतान करने के लिए उपयुक्त साधन बन सकता है; (ii) किसी विशेष कार्य में इसके प्रयोग के आदेश को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने निर्णय पर संशोधित किया जा सकता है. इस तरह के उपयोग करने के बाद शेष राशि, यदि कोइ हो, उन राशियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा सकता है, जिनका विवरण आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले तत्काल अगले लेखा–विवरण/णों (स्टेटमेंट) में दर्शाया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड खाते में एक क्रेडिट–लिमिट (सीमा) निर्धारित करेगा, जिसे कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए.

हालांकि, यदि कुल बकाया क्रेडिट–लिमिट (सीमा) से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.

कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) अपनी सदस्यता (मेम्बरशिप) के 12 महीने पूरे होने पर क्रेडिट लिमिट (सीमा) और/या नकद सीमा (यदि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान की जाती है) की समीक्षा/बढ़ोतरी/कमी की जानकारी के लिए आवेदन करने का हकदार होगा.

इस तरह की समीक्षा में परिवर्तन पाए जाने पर, यदि कोई हो, क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर होगी. आईसीआईसीआई बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी समय कार्ड पर दी गई क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा की समीक्षा (बढ़ोतरी या कमी सहित) का हकदार होगा और क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में केवल बढ़ोतरी, यदि की गयी हो, कार्ड धारक की सहमति से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रभावी होगी.

नोट: यदि भुगतान की देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) को या उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक को कुल देय राशि (टोटल अमाउंट ड्यू) का भुगतान किया जाता है, तो कोई सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, सभी नकद लेनदेन और ड्राफ्ट पर लेनदेन की तिथि से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त होने तक प्रचलित दर पर सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) लगेगा.

(J) आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश और अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए अपने कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) में पैसे जमा करके और उतनी ही राशि को डेबिट कर, जैसा कि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक में बतलाया गया हो, को प्रभावित करने का हकदार होगा, लेकिन बाध्य नहीं. कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) पर सभी बकाया राशि, किसी भी बकाया कार्ड लेनदेन की राशि के साथ प्रभावी है लेकिन अभी तक कार्ड खाते से शुल्क (चार्ज) नहीं लिया गया है, तो कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) की मृत्यु (क्रेडिट शील्ड लाभ के समायोजन के बाद*) या दिवालिया होने पर या कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) का व्यवसाय बंद होने की स्थिति में कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर), उसके उत्तराधिकारियों, नामांकित व्यक्तियों, कानूनी वारिसों द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को तत्काल देय और पूर्ण रूप से देय हो जाएगा. *अधिक जानकारी के लिए कृपया icicibank.com पर जाएं.

(K) कार्ड सदस्य स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि यदि वह देय होने पर पैसे का भुगतान करने में विफल रहता है, या उस तिथि से पहले देय घोषित किया जा सकता है जब यह अन्यथा देय हो, या आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौते के तहत कोई गलती करता है जिसके तहत कार्ड धारक लाभ उठा रहा है जैसे की कोई वित्तीय/क्रेडिट/अन्य सुविधा, तो, आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, बिना किसी पूर्व सूचना के, इन नियमों और शर्तों और/या लागू कानूनों में उपलब्ध अपने सभी अधिकारों और उपायों का प्रयोग करेगा.

(L) आईसीआईसीआई बैंक के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भुगतान करने में देरी के मामले में आईसीआईसीआई बैंक व्यापारिक संस्थानों को क्रेडिट कार्ड के नियमों का पालन न करने का निर्देश देकर क्रेडिट कार्ड के विशेषाधिकारों को वापस लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है. कार्ड धारक यह स्वीकार करता है कि आईसीआईसीआई बैंक या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/एजेंट अपने स्वविवेक से कार्ड पर पहले लगे शुल्क के भुगतान के लिए किसी भी समय उसके साथ संपर्क कर सकते हैं. कार्ड धारक सभी देय राशियों के संग्रहण की सभी लागतों (कानूनी लागत सहित), संबंधित और आकस्मिक मामलों के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए सभी शुल्कों जिसमें कार्ड के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन के लिए शुल्क, डुप्लिकेट स्टेटमेंट/चार्ज–स्लिप, नकद एडवांस के लिए लेनदेन शुल्क, बाहरी चेक को लाने के लिए शुल्क,वापस किये गए भुगतान और इसी तरह के खर्चों के लिए लगाए गए शुल्क, और कानूनी कार्रवाई शुरू होने की स्थिति में, सभी कानूनी खर्च और ब्याज के साथ आध्यादेश राशि का भुगतान करने के लिए भी सहमत है.

(M) यदि कार्डधारक/कार्ड सदस्य संबंधित देय तिथियों पर अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो आईसीआईसीआई बैंक, यहां दिए गए क्लॉज में उल्लिखित आईसीआईसीआई बैंक के विभिन्न अधिकारों और उपायों को अपनाकर विभिन्न तरीकों और अधिकृत रूप से संपर्क कर कार्ड धारक/कार्ड सदस्य के नियोक्ताओं को नियोक्ता द्वारा कार्डधारक/कार्ड सदस्य को देय वेतन/मजदूरी में से कटौती करवा सकता है और इसे तब तक आईसीआईसीआई बैंक को अदा करना होगा जब तक कि कार्डधारक/कार्ड सदस्य से आईसीआईसीआई बैंक को बकाया राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है. कटौती इतनी राशि की होंगी, और इस हद तक होंगी, जितनी आईसीआईसीआई बैंक कार्डधारक/कार्ड सदस्य के नियोक्ताओं को सूचित (और निर्देश) दे सकता है. कार्डधारक/कार्ड सदस्य ऐसी कटौतियों पर कोइ आपत्ति को उठा/बना नहीं सकते हैं. कार्डधारक/कार्ड सदस्य और/या कार्डधारक/कार्ड सदस्य के नियोक्ता को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या अनुबंध किसी भी तरह से आईसीआईसीआई बैंक के उपरोक्त अधिकार को कार्डधारक/कार्ड सदस्य के नियोक्ता द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को इस तरह की कटौती और भुगतान प्राप्त करने पर रोक या बाधित नहीं कर सकता है.

VIII. नकद निकासी

कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक की चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक शाखाओं/ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स (ATM) या संपर्ककर्ता बैंकों/अन्य स्थानों पर टेलर काउंटर से आपातकालीन स्थित में नकदी का उपयोग करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर तय किया जाता है और साथ ही समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड धारक को निर्दिष्ट किया जाता है. इस सुविधा के तहत किसी भी समय निकाली जा सकने वाली कुल राशि प्रत्येक कार्ड धारक के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट उपलब्ध नकद सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.

कार्ड धारक को ATM द्वारा जारी किए गए लेनदेन का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा. सभी शुल्कों (चार्जेज) पर लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा और उसके बाद लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को बिल भेजा जाएगा. इसके अलावा, सभी नकद निकासी पर इस तरह की निकासी की तिथि से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त होने तक औसत रूप से दैनिक बकाया राशि की विधी पर गणना के लिए सेवा शुल्क भी लगेगा. यह सेवा शुल्क कार्ड खाते से डेबिट कर दिया जाएगा. लेनदेन शुल्क और सेवा शुल्क जैसा की ऊपर उल्लिखित किया गया है गैर–वापसी योग्य है. चुनिंदा कार्ड पर नकद सीमा, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, कार्ड जारी होने की तिथि से पहले एक

सौ अस्सी (180) दिनों के लिए शून्य होगी. पहले 180 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर कार्ड धारक को नकद सीमा उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसी शर्तों के बारे में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर कार्ड धाराक को सूचित किया जा सकता है.

IX. फ़ोन पर ड्राफ्ट

आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर फोन करने के माध्यम से कार्ड खाते पर ड्राफ्ट जारी करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है. सभी ड्राफ्ट केवल उपलब्ध नकद सीमा राशि के लिए जारी किए जाएंगे और सभी ड्राफ्टों पर एक लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा और बाद में लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में कार्ड सदस्य को बिल किया जाएगा. लेन–देन शुल्क के अलावा, सभी ड्राफ्ट पर सेवा शुल्क भी लगेगा और ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से कार्ड धारक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को पुनर्भुगतान की तिथि तक देय होगा. आईसीआईसीआई बैंक की प्रचलित दर के अनुसार कार्ड खाते से सेवा शुल्क डेबिट किया जाएगा.

लेनदेन शुल्क और सेवा शुल्क जैसा की ऊपर उल्लिखित किया गया है गैर–वापसी योग्य है. आईसीआईसीआई बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के और कार्ड धारक के दायित्व पर ध्यान दिए बिना किसी भी समय इस सुविधा को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. एक बार जारी किए गए ड्राफ्ट को आईसीआईसीआई बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज कार्ड धारक को मेल/ डाक पते पर कूरियर किया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक–ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के समय से 4 कार्य दिवसों के भीतर ड्राफ्ट वितरित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दिया गया है. आईसीआईसीआई बैंक डिलीवरी न होने या डिलीवरी में देरी या ड्राफ्ट की गैर–प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. यदि कोई ड्राफ्ट खो जाता है या रद्द किया जाना है, तो आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक से विधिवत भरी हुई क्षतिपूर्ति फॉर्म (आईसीआईसीआई बैंक को स्वीकृत फॉर्म में) प्राप्त होने के बाद ही कार्ड खाते में क्रेडिट के माध्यम से ड्राफ्ट के मूलधन को वापस करेगा. ड्राफ्ट रद्द करने के लिए ड्राफ्ट को वापस करना होगा और रद्दीकरण शुल्क लगाया जाएगा. यदि कोई ड्राफ्ट गुम/चोरी हो जाता है, तो आईसीआईसीआई बैंक प्रतिस्थापन या मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

X. बीमा लाभ

बीमा कंपनी के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक समय–समय पर कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को विभिन्न बीमा लाभों की पेशकश कर सकती है. दावे के सभी मामलों में, दावे के निपटान के लिए बीमा कंपनी पूरी तरह उत्तरदायी होगी और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) किसी भी तरह से चाहे वह मुआवजे के लिए, मुआवजे की वसूली, दावों के प्रसंस्करण या किसी अन्य

कोई कारण हो आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा. नीचे दिए गए अनुच्छेद की शर्तों के अधीन, बीमा कंपनी कार्ड सदस्य के नामांकित जिसका नाम और हस्ताक्षर, विधिवत साक्षी, कार्ड सदस्य द्वारा अग्रेषित बीमा नामांकन फॉर्म पर दिखाई देता है, उसे बीमा कंपनी सीधे या आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से स्वीकृत बकाया राशि जारी कर अपनी सभी देनदारियों से मुक्त हो जाएगी. नामांकन में कोई भी परिवर्तन कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) लिखित रूप में आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करेगा.

कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) आगे यह स्वीकार करता है कि इस प्रकार प्रदान किए गए बीमा लाभ कार्ड धारक को तभी तक उपलब्ध होंगे जब तक कि कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड सदस्य है और उसका कार्ड खाता अच्छा और नियमित है और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है.

इसके आगे कार्ड धारक यह सहमती देता है कि बीमा दावा राशि को बीमा कंपनी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के निर्देश पर एस्क्रो में रखा जा सकता है जब तक कि कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड पर सभी बकाया देनदारियों को संतोषजनक रूप से अदा नहीं की जाती है. कार्ड की सुविधा समाप्त होने की स्थिति में, किसी भी कारण से, ऐसे सभी बीमा लाभ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और सदस्यता समाप्त होने की तिथि से उपलब्ध नहीं रहेंगे. आईसीआईसीआई बैंक किसी भी समय इन बीमा लाभों को संशोधित, बंद, वापस ले या रद्द कर सकता है और इन लाभों को जारी रखने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर कोई बाध्यता नहीं होगी.

XI. क्रेडिट कार्ड का खो जाना, चोरी होना या दुरूपयोग

यदि कोई कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर को दी जानी चाहिए. कार्ड के चोरी हो जाने पर, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और इसकी एक प्रति आईसीआईसीआई बैंक में जमा करनी होगी. आईसीआईसीआई बैंक, उचित सत्यापन के बाद, कार्ड खाते को बंद कर देगा और उससे संबंधित सभी सुविधाओं को समाप्त कर देगा और इस कारण कार्ड धारक को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. कार्ड सदस्य इसकी जानकारी रखें कि एक बार कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद, कार्ड का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, भले ही वह बाद में मिल जाए. कार्ड धारक यह घोषणा करता है कि यदि कार्ड के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या चोरी हो जाने की सूचना मिलने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा, भले ही बाद में वह अच्छी स्थिति में पाया या कहा गया हो. ऐसी स्थिति में, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) कार्ड को तुरंत 4 हिस्सों में काटेगा और रद्द करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को वापस कर देगा. कार्ड सदस्य कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इस बात का ध्यान रखेगा कि कार्ड का दुरुपयोग न

हो. इस घटना में कि आईसीआईसीआई बैंक यह निर्धारित करता है कि कार्ड के खो जाने/चोरी/क्षतिग्रस्त होने के मामले में कार्ड धारक ऊपर बताए गए कदम उठाने में विफल रहा है और इस संदेहात्मक परिस्थिति में, कार्ड धारक को खोए, चोरी या क्षतिग्रस्त कार्ड पर वित्तीय दायित्व उठाना होगा या इसके लिए कार्ड खाता भी रद्द किया जा सकता है.

कार्ड के खो जाने/चोरी/क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने के बाद और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड खाते को बंद किए जाने के बाद कार्ड पर किए गए किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए कार्ड धारक पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. कार्ड के खो जाने/चोरी/क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने के बाद किए गए किसी भी लेन-देन की जिम्मेदारी बैंक की होगी. हालांकि, रिपोर्टिंग के समय और/या कार्ड पर किए गए लेन-देन से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, उक्त कार्ड के खो जाने/चोरी/दुरुपयोग होने की रिपोर्ट करने के बाद, आईसीआईसीआई बैंक समय और/ या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक के हितों की रक्षा के लिए और कार्ड खाते पर किसी भी तरह के दुरुपयोग से बचने के लिए इस संदेहास्पद जोखिम पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) किसी भी लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता और 7 (सात) कार्यकारी दिनों के भीतर एक प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) कार्ड प्राप्त करेगा.

इस घटना में, कार्ड धारक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा संभावित धोखाधड़ी जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी, कार्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध करता है, तो भविष्य में आईसीआईसीआई बैंक कार्ड के गलत उपयोग के कारण या अन्यथा रिपोर्ट किए गए किसी भी धोखाधड़ी लेनदेन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा.

XII. दायित्वों का बहिष्करण

आईसीआईसीआई बैंक के लिए उपलब्ध उपायों और इन शर्तों पर गलत प्रभाव डाले बिना, आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

(a) आपूर्ति किए गए किसी भी सामान या सेवाओं में कोई दोष;

(b) किसी भी व्यक्ति/व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) द्वारा कार्ड का आदर करने या स्वीकार करने से इनकार करना; (c) किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल की खराबी;

(d) कार्ड सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेनदेन निर्देश देना; (e) कार्ड धारक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक या उसके प्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य को कार्ड सौंपना;

(f) आईसीआईसीआई बैंक आने वाली कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले कार्ड की मांग और सरेंडर करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा;

(g) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किसी भी कार्ड और कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग;

(h) कार्ड धारक के क्रेडिट मान और सम्मान को कोई चोट, जो कथित रूप से कार्ड पर कब्ज़ा करने और/या उसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट)/मेल ऑर्डर एस्टाब्लिश्मेंट द्वारा कार्ड को सम्मान देने या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई हो;

(i) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत कथन, गलत बयानी, त्रुटि या चूक; यदि आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड धारक से बकाया राशि के निपटान की मांग या दावा किया जाता है, तो कार्ड धारक सहमत होता है और स्वीकार करता है कि ऐसी मांग या दावा किसी भी तरह से मानहानि का कार्य या कार्ड धारक के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रतिबिंबित करने वाला कार्य नहीं होगा.

कार्डधारक स्वीकार करता है कि क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए आवेदन करते समय कार्डधारक द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल फोन नंबर या ई–मेल पर अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान आईसीआईसीआई बैंक या अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी और सेवाओं पर निर्भर करता है. कार्डधारक स्वीकार करता है कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भेजे गए अलर्ट की समयसीमा, सटीकता और पठनीयता आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नियुक्त अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर करेगी. आईसीआईसीआई बैंक कार्डधारकों को अलर्ट के नॉन–डिलीवरी या डिलीवरी में देरी, त्रुटि, हानि या विरूपण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

XIII. बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी (सुविधा)

''सुविधा'' का अर्थ है स्थानांतरण, आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए / प्रदान किए जाने के लिए सहमत कार्डधारक के कार्ड के लिए कार्ड धारक के अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि की ऐसी राशि, लेकिन उपलब्ध क्रेडिट–सीमा से अधिक नहीं है.

''ईज़ी BT'' का अर्थ फैसिलिटी (सुविधा) से है जब कार्ड सदस्य फैसिलिटी (सुविधा) के पुनर्भुगतान के तरीके को समान मासिक किस्तों में परिवर्तित करता है.

''EMI'' या ''इक्वेटेड मंथली इनस्टॉलमेंट (समान मासिक किस्त)'' का अर्थ है की फैसिलिटी (सुविधा) के संबंध में कार्ड धारक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को देय राशि की इक्वेटेड मंथली इनस्टॉलमेंट (समान मासिक किस्त), जिसमें फैसिलिटी (सुविधा) की मूल राशि और उस पर ब्याज शामिल है.

''ब्याज मुक्त बैलेंस ट्रांसफर'' का अर्थ है कि कार्डधारक आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित अवधि के लिए 0% ब्याज दर पर फैसिलिटी (सुविधा) प्राप्त करता है.

''LTBT'' (लाइफ–टाइम बैलेंस ट्रांसफर) का अर्थ है कि कार्डधारक फैसिलिटी (सुविधा) का लाभ उठाते समय आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर पर अनिर्दिष्ट अवधि के लिए सुविधा प्राप्त करता है.

फैसिलिटी (सुविधा) का उपयोग:

इस फैसिलिटी (सुविधा) के तहत, आईसीआईसीआई बैंक अपने विवेकाधिकार पर, कार्ड धारक को अन्य बैंकों/संस्थाओं द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड पर अपनी संपूर्ण बकाया राशि या उसके हिस्से को अपने कार्ड खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा. ऐसा स्थानांतरण स्वीकृत फैसिलिटी (सुविधा) राशि के लिए ऐसे अन्य बैंक/संस्था के साथ कार्ड सदस्य के कार्ड खाते को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अन्य बैंक/संस्था के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक में कार्ड धारक के पंजीकृत डाक पते पर भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा.

आईसीआईसीआई बैंक किसी भी अतिदेय भुगतान या सेवा शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कार्ड धारक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली/प्रदान होने वाली सुविधा के बाद उसके अन्य क्रेडिट कार्ड के संबंध में हो सकता है. कार्ड धारक अन्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक/संस्था को भुगतान करना जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि फैसिलिटी (सुविधा) की हस्तांतरित राशि अन्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक/संस्था द्वारा प्राप्त नहीं हो जाती है.

इसके अतिरिक्त, कार्ड सदस्य को आगे जारी किए जाने वाले लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में इसकी पुष्टि भी प्राप्त होगी, जिसमें यह उल्लिखित किया जाएगा कि अन्य क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक/संस्था के साथ उनके कार्ड खाते में राशि जमा कर दी गयी है. यह फैसिलिटी (सुविधा) प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के साथ–साथ पूरक कार्ड सदस्य (सप्लीमेंट्री कार्ड मेम्बर) के लिए उपलब्ध होगी, जो उपलब्ध नकद–सीमा और/या क्रेडिट सीमा के अधीन होगी और इस फैसिलिटी (सुविधा) के लिए अनुरोध करने वाले कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को प्रदान की जाएगी.

कार्ड पर कैश–लिमिट और/या क्रेडिट–लिमिट को कार्ड मेंबर को दी गई फैसिलिटी (सुविधा) राशि पर ब्लॉक कर दिया जाएगा. टैरिफ अनुबंध (एनेक्चर) में निर्दिष्ट आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को निर्दिष्ट प्रतिशत तक कार्ड सदस्य को फैसिलिटी (सुविधा) पर एक गैर–वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा. आईसीआईसीआई बैंक की प्रचलित दरों के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क और ब्याज राशि पर जीएसटी लागू होगा. ऐसी राशि उस माह के लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दर्शाई जाएगी. कार्ड धारक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को फैसिलिटी (सुविधा) के लिए आवेदन करने पर, आईसीआईसीआई बैंक दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड पर दस रुपये (10) के लिए एक डमी प्राधिकरण आयोजित करेगा, जिसके लिए सुविधा का लाभ उठाया गया है. यदि प्राधिकरण सफल हो जाता है, तो शेष राशि हस्तांतरण (बैलेंस ट्रांसफर) लेनदेन को आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर अन्य नियमों और शर्तों के अधीन संसाधित किया जाएगा.

पुनर्भुगतान:

फैसिलिटी (सुविधा) के इजी BT होने के मामले में, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) एचख में फैसिलिटी (सुविधा) और उस पर लगे ब्याज का भुगतान करेगा. ब्याज उस दर पर होगा जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को फैसिलिटी (सुविधा) के लिए प्रस्ताव देते समय और उसके बाद कार्ड सदस्य को सूचित किया गया है. ब्याज की गणना जब कार्ड सदस्य से इजी BT के संबंध में अनुरोध की पुष्टि हुई उस समय से शुरू होगी. फैसिलिटी (सुविधा) के अन्य विवरण (ब्याज दर सहित) के साथ EMI की राशि भी कार्ड सदस्य को उसके डाक पते पर सूचित की जाएगी.

किसी विशेष महीने के लिए देय एचख की राशि बाद में उस विशेष महीने के लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दर्शायी जायेगी. आईसीआईसीआई बैंक उस विशेष महीने के लिए देय EMI की राशि के लिए कार्ड सदस्य के कार्ड खाते को मासिक आधार पर डेबिट करने का हकदार/अधिकृत होगा, जैसा कि लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) के माध्यम से कार्ड सदस्य को सूचित किया गया है. कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा पुनर्भुगतान करने पर, कैश लिमिट/क्रेडिट लिमिट कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा भुगतान की गयी EMI की राशि की सीमा तक दुबारा तय की जाएंगी.

कार्ड सदस्य (कार्ड मेंबर) को पेमेंट ड्यू डेट (भुगतान की देय तिथि) पर उस विशेष महीने के लिए संपूर्ण EMI का भुगतान करना होगा, जैसा कि लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दर्शाया गया है और इसे अगले लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में आगे ले जाने/शामिल करने की अनुमति नहीं होगी. निर्दिष्ट पेमेंट ड्यू डेट (भुगतान की देय तिथि) तक भुगतान नहीं किए जाने पर, इसे कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा एक डिफ़ॉल्ट के रूप में माना जाएगा और कार्ड सदस्य अपनी फैसिलिटी (सुविधा) पर लगाए जाने वाले ब्याज और देर से भुगतान शुल्क, जैसा कि टैरिफ अनुबंध में निर्दिष्ट है के साथ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. ईज़ी BT के अलावा अन्य मामलों में फैसिलिटी (सुविधा) की राशि टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) और/या EMI राशि देय होगी और क्रमशः क्लॉज VI और XXXIV में दिए गए अनुसार चुकानी होगी.

यदि कार्ड धारक ब्याज मुक्त बैलेंस ट्रांसफर का लाभ उठाता है, तो निर्दिष्ट अवधि के लिए हस्तांतरित (ट्रांसफर) की गई मूल राशि ही ब्याज मुक्त होती है. यदि कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) फैसिलिटी (सुविधा) का लाभ उठाने के बाद टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) का केवल आंशिक भुगतान करता है, तो कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा भुगतान की गई राशि को विनियोजित किया जाएगा और उसके ऊपर ब्याज और सेवा शुल्क क्लॉज VI (I) में बताए गए नियमों और शर्तों के अनुसार लगाया जाएगा.

यदि कार्ड धारक LTBT का लाभ उठाता है, तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर केवल हस्तांतरित (ट्रांस्फर्ड) मूलधन राशि पर लागू होती है. फैसिलिटी (सुविधा) का लाभ उठाने के बाद टोटल अमाउंट ड्यू (कुल देय राशि) के आंशिक भुगतान के मामले में, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) द्वारा भुगतान की गई राशि को विनियोजित किया जाएगा और ब्याज और सेवा शुल्क उपरोक्त क्लॉज़ VI (I) (सी) में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार लगाया जाएगा.

फैसिलिटी (सुविधा) का फोरक्लोजर (बंद करना):

फैसिलिटी (सुविधा) के इजी BT होने की स्थिति में, यदि फैसिलिटी (सुविधा) को पुनर्भुगतान की अवधि से पहले बंद/रद्द कर दिया जाता है, तो बंद/रद्द के समय बकाया फैसिलिटी (सुविधा) की राशि पर संपूर्ण ब्याज और अन्य सभी राशियों के साथ फैसिलिटी (सुविधा) की राशि को कार्ड धारक चुकाने का उत्तरदायी होगा. कार्ड धारक फोरक्लोज़र का लाभ उठाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करके किसी भी समय इस सुविधा को बंद करवा सकता है. कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को फैसिलिटी (सुविधा) प्रदान करते समय भेजे गए पत्र में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बतलाए गए फोरक्लोजर शुल्क का भुगतान करना होगा.

आईसीआईसीआई बैंक, सभी अधिकारों एवं उपायों को नुकसान पहुंचाए बिना, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा फैसिलिटी (सुविधा) के संबंध में लगातार दो महीने तक EMI का भुगतान ना करने पर तत्काल ब्याज और अन्य राशि सहित चुकाने के लिए सूचित करने का अधिकार रखता है और कार्ड सदस्य इस मांग पर इन सभी राशियों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा.

फैसिलिटी (सुविधा) को रद्द करना:

कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करके फैसिलिटी (सुविधा) प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर इस फैसिलिटी (सुविधा) को रद्द कर सकता है.

इस तरह का रद्दीकरण को क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड C विंग, ऑटम एस्टेट्स, चांदीवली फार्म रोड, चांदीवली, चांदीवली स्टूडियो के पास में, म्हाडा, अंधेरी–पूर्व, मुंबई – 400072 को डिमांड ड्राफ्ट वापस करना होगा और कार्ड सदस्य या लाभार्थी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है.

XIV. पूरक (सप्लीमेंट्री) कार्ड:

प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) द्वारा प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के परिवार के सदस्य (सदस्यों) को ऐड–ऑन कार्ड जारी करने का अनुरोध प्राप्त होने पर, आईसीआईसीआई बैंक अपने विवेकाधिकार पर प्राथमिक कार्ड (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के परिवार के सदस्यों को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर तय किए गए नियमों और शर्तों के आधार पर एक पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) जारी करेगा.

पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) के उपयोग को इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा. किसी भी पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) के धारक और प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर), जो इसे जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं, इन नियमों और शर्तों से/भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग बाध्य/उत्तरदायी हैं, हालांकि यह प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) की जिम्मेदारी होगी कि वह पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) के अंतर्गत सभी देय और

शुल्कों का भुगतान करे. पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) की सुविधा, इस तरह के शुल्क/दर पर एक विशेष सुविधा होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है, पूरक कार्ड (सप्लीमेंट्री कार्ड) सदस्य की सदस्यता का जारी रहना पूरी तरह से प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) की सदस्यता के जारी रहने पर निर्भर करेगा.

XV. बिलिंग:

सभी कार्ड सदस्यों (कार्ड मेम्बर्स) को कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों (चार्जेज) और कार्ड खाते पर लागू सभी शुल्कों (चार्जेज) के लिए मासिक आधार पर बिल भेजा जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक यह प्रयास करेगा कि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) भेजने में कोई देरी न हो. हालांकि, उस अवधि के लिए कोई लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) तैयार नहीं किया जा सकता है जिस महीने में कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) पर कोई बकाया नहीं है और कोई लेनदेन नहीं हुआ है.

आईसीआईसीआई बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा के साथ लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) ऑनलाइन प्रदान करने का प्रयास करेगा कि लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) केवल कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा ही प्राप्त हो. लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) प्राप्त न होने की स्थिति में, किसी भी कारण से, उन्हें आप तक भेजने में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कोई देरी नहीं हो रही है, कार्ड सदस्य आईसीआईसीआई बैंक को भुगतान की देय तिथि तक या आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करके उसके पास उपलब्ध चार्ज स्लिप की प्रतियों का उपयोग करके गणना की गई सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा.

XVI. तत्काल मर्चेंट (व्यापारी) आधारित इनस्टॉलमेंट प्रोग्राम (किश्त कार्यक्रम) के लिए शर्तें

''EMI'' या ''इक्वेटेड मंथली इनस्टॉलमेंट (समान मासिक किस्त)'' का अर्थ कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को देय राशि की इक्वेटेड मंथली इनस्टॉलमेंट (समान मासिक किस्त) है, जिसमें मूल राशि, ब्याज और कोई/या अन्य शुल्क, यदि लागू हो, शामिल हैं.

''इंस्टेंट EMI'' कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के अनुरोध पर आईसीआईसीआई बैंक EDC (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर) टर्मिनल पर कार्ड का उपयोग करके किए गए और/या ऐसे ऑनलाइन लेनदेन के लिए EMI में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जहां इस तरह के परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध है. आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, व्यक्तिगत कार्ड सदस्य को क्रेडिट कार्ड पर तत्काल एचख उपलब्ध कराने का हकदार होगा, बिना कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के शुल्क के लिए तत्काल भुगतान करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर), समान मासिक किस्तों (EMI) के माध्यम से किसी भी खरीदी के लिए भुगतान करने के विकल्प का लाभ उठा सकता है, जैसा कि

आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा कार्ड सदस्य को सूचित किया जाएगा और साथ ही कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को भेजे गए लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दर्शाया गया है, जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो:

(i) एक बार कार्ड धारक द्वारा तत्काल EMI द्वारा भुगतान का विकल्प चुनने के बाद, आगे होने वाले किसी भी परिवर्तन खरीदी की प्रकृति के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्री–क्लोजर शुल्क लगेगा. कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) EMI के फोरक्लोजर का लाभ उठाने के लिए किसी भी समय आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करके फैसिलिटी (सुविधा) (बकाया राशि का पूर्व भुगतान) बंद करवा सकता है. फोरक्लोजर शुल्क बकाया मूलधन राशि पर 3% के बराबर होता है और अगले महीने का ब्याज कार्ड खाते पर लगाया जाएगा. कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को सुविधा का संपूर्ण रूप से पूर्व भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर को कॉल करना होगा.

(ii) यदि बिल और बकाया शुल्क के किसी भी हिस्से को इंस्टेंट EMI में भुगतान करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है और ऐसे हिस्से का भुगतान देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर ब्याज, सेवा शुल्क और देर से भुगतान शुल्क के साथ भुगतान किया जाएगा और क्लॉज़ VI में बताए गए तरीके से होगा;

(iii) इंस्टेंट EMI सुविधा क्रेडिट कार्ड के संबंध में उपलब्ध होगी जिसमें वर्तमान में निम्नलिखित खरीदियाँ शामिल हैं, जैसे, (a) व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) पर की गयी नई खरीदी; (b) आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर के माध्यम से यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) में पिछली खरीदारी का परिवर्तन.

(iv) इंस्टेंट EMI की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के लिए उपलब्ध है और ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी:

(a) कितनी अवधि के लिए और कौनसे व्यापारिक संस्थानों में जो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तय किया जा सकता है;

(b) इंस्टेंट EMI का ब्याज संघटक कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) और व्यापारी विशिष्ट होगा जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तय किया गया है;

(c) डाउन पेमेंट की राशि, लेनदेन शुल्क, इंस्टेंट EMI के भुगतान की अवधि और अन्य भुगतान विवरण कार्ड सदस्य और व्यापारी विशिष्ट होंगे जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक तय कर सकता है. इंस्टेंट EMI की यह सुविधा बिजनेस कार्ड, कॉरपोरेट कार्ड, ईएमआई कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर उपलब्ध नहीं है.

XVII. ऑटो डेबिट सुविधा

कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) बकाया राशि का भुगतान करने के लिए ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठा सकता है. ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठाने पर, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) (जिसका विवरण आईसीआईसीआई बैंक को प्रदान किया जाएगा) को भेजे गए लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दर्शाई गई भुगतान देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) पर, ऊपर उल्लिखित राशि के लिए, कार्ड धारक के बैंक खाते से डेबिट कर दिया जाएगा. बशर्ते, भुगतान की देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) एक व्यावसायिक दिन होनी चाहिए अन्यथा बैंक खाते को अगले व्यावसायिक दिवस पर डेबिट कर दिया जाएगा. भुगतान की देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) पर उक्त बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के मामले में, कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) कार्ड की देय राशि के साथ–साथ लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) इस बात की सहमती है और पुष्टि करता है कि ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्ड सदस्य द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रस्तुत सभी विवरण सही और पूर्ण है. अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण या किसी भी अन्य कारण से ऑटो डेबिट लेनदेन में देरी होने या पूरा नहीं होने पर आईसीआईसीआई बैंक इसका उत्तरदायी नहीं होगा. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) आगे इस बात की सहमती देता है और आईसीआईसीआई बैंक के पक्ष में जारी ऑटो डेबिट निर्देशों के बारे में कार्ड धारक के बैंक को सूचित करने और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सहमति के बिना उक्त बैंक खाते को बंद नहीं करने का वचन देता है. ऐसे निर्देशों को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लिखित सहमति के बिना वापस या रद्द नहीं किया जा सकता है.

XVIII. भुगतान की वापसी

यदि कार्ड धारक द्वारा अपने कार्ड की बकाया राशि के भुगतान के लिए दिए गए चेक, या किसी अन्य भुगतान साधन या निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, या कार्ड सदस्य को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि इसे संसाधित नहीं किया जा सकता है, आईसीआईसीआई बैंक कार्डधारक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अपने विवेकाधिकार पर शुल्क लगाएगा और/या अस्थायी रूप से/स्थायी रूप से कार्ड को रद्द कर सकता है. कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) चेक वापसी शुल्क और देर से भुगतान शुल्क या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा.

XIX. विवाद

भुगतान के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राप्त कोई भी चार्ज स्लिप, या अन्य भुगतान निर्णायक सबूत होगी कि इस तरह की चार्ज स्लिप या अन्य मांग पर दर्ज किया गया शुल्क कार्ड धारक द्वारा खर्चा किया गया था, जब तक कि क्रेडिट कार्ड खो गया, चोरी हो गया या धोखाधड़ी से इसका दुरुपयोग किया गया है ऐसी कोई जानकारी बैंक को प्राप्त नहीं होती है और इसकी रिपोर्ट यहां ऊपर दिए गए क्लॉज़ खद में दी गई है, जिसके लिए सबूत जमा करने का भार कार्ड सदस्य पर होगा.

इस क्लॉज में संदर्भित अन्य भुगतान जिसमें कार्ड के उपयोग से एक कार्डधारक द्वारा व्यापारिक संस्थान में किए गए स्वीकृत खर्चों से संबंधित कोई भी और सभी भुगतान, जिनको शुल्क के रूप में दर्ज नहीं किया गया है शामिल होंगे. इस तरह की चार्ज स्लिप पर कार्ड नंबर के साथ कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के हस्ताक्षर लिए जाते है, जो की कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) के दायित्व का निर्णायक सबूत होगा. आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर/इनफिनिटी के माध्यम से APIN/पासवर्ड/यूजर–आईडी का उपयोग कर आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर सेंटर/इनफिनिटी की उपलब्ध फैसिलिटी (सुविधाओं) का इस्तेमाल कर लेनदेन करना कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) का निर्णायक प्रमाण होगा. आईसीआईसीआई बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं कि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) ने खरीदे गए सामान या सेवाओं को विधिवत प्राप्त कर लिया है. यदि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दिए गए किसी शुल्क से असहमत है, तो उन्हें लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करना होगा, अन्यथा ऐसा माना जाएगा की लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दिए गए सभी शुल्क क्रम में हैं.

XX. सुरक्षा

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के मामले में, कार्ड खाते पर उपलब्ध बकाया कार्ड लेनदेन की राशि के साथ–साथ, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा कार्ड के उपयोग करने के दौरान हुई किसी भी बकाया राशि, ब्याज और अन्य सभी लागतों, प्रभारों के साथ, जैसा की यहाँ उल्लेख किया गया है, जो प्रभावी है लेकिन अभी तक कार्ड खाते से शुल्क नहीं काटा गया है, उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके से, एकल कार्ड सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उनके नाम पर या तृतीय पक्ष के नाम पर उपलब्ध प्रतिभूतियों को और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकृत ऐसी प्रतिभूतियों/सावधि जमा/ऐसी अन्य संपत्तियों को गिरवी/सील बंद कर सुरक्षित किया जाएगा. सुरक्षा के सृजन के लिए कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को ऐसे सभी दस्तावेजों को आईसीआईसीआई बैंक के लिए संतोषजनक रूप से और सुव्यवस्थित तरीके से निष्पादित करने होंगे. सुरक्षा के निर्माण और अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में शामिल लागत, जिसमें स्टांप शुल्क आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा वहन किया जाएगा.

XXI. संचय

आईसीआईसीआई बैंक, कार्ड धारक के एकमात्र जोखिम और लागत पर, कार्ड धारक की बकाया राशि लेने और/या कार्ड धारक द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का हकदार होगा, और आईसीआईसीआई बैंक (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को कार्ड धारक से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाली सुरक्षा प्रदान करें.

आईसीआईसीआई बैंक ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों निष्पादित करने या उसके प्रासंगिक अधिकार भी सौंप सकता है, जो भी आईसीआईसीआई बैंक उचित समझे.

XXII. माल और सेवाओं की गुणवत्ता

आईसीआईसीआई बैंक किसी भी तरह से मर्चेंडाइज (व्यापारी माल), मर्चेंडाइज वारंटी या खरीदी गई सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, या कार्ड मेंबर द्वारा व्यापारी संस्थानों (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) से प्राप्त सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें डिलीवरी में देरी, डिलीवरी ना होना, सामान प्राप्त ना होना या या कार्ड धारक द्वारा खराब सामान प्राप्त होना शामिल है. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को सामान खरीदने और/या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दी जाने वाली सुविधा है, आईसीआईसीआई बैंक माल की गुणवत्ता, वितरण या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है. मर्चेंडाइज (व्यापारी माल) के संबंध में किसी भी विवाद या दावे को कार्ड सदस्य द्वारा व्यापारी संस्थान (मर्चेंट एस्टाब्लिश्मेंट) के साथ हल किया जाना चाहिए. दावे या विवाद के होने पर भी कार्ड धारक को आईसीआईसीआई बैंक को सभी शुल्कों का भुगतान करने की उसकी बाध्यता से राहत नहीं मिलेगी और कार्ड धारक ऐसे शुल्कों का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत होना होगा.

XXIII. क्रेडिट ट्रांस्जेक्शन (लेनदेन)

एक खरीदारी के लिए एक डेबिट होना और माल/सेवाओं को रद्द करने के लिए बाद में क्रेडिट होना दो अलग–अलग लेनदेन हैं. किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए कार्ड सदस्य को खरीद लेनदेन के लिए भुगतान करना होगा जैसा कि विवरण में दिखाई देता है. लेनदेन रद्द करने पर धनवापसी केवल कार्ड खाते (रद्दीकरण शुल्क को घटाकर) में जमा की जाएगी और वो भी केवल तब जब आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पैसा प्राप्त किया गया हो. हालांकि, कार्ड धारक द्वारा क्रेडिट चार्ज स्लिप को सफलतापूर्वक जमा करने पर, क्रेडिट कार्ड खाते में पोस्ट कर दिया जाएगा. यदि क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड खाते में उचित समय के भीतर पोस्ट नहीं किया जाता है, तो कार्ड धारक को आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करना चाहिए.

XXIV. विदेशी देशों में किए गए शुल्क

कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) यह घोषणा करता है कि उसे जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग यदि विदेशों में किया जाता है, तो उसका उपयोग ठइख द्वारा समय–समय पर जारी और संशोधित प्रासंगिक एक्सचेंज विनियमों के अनुसार कड़ाई से किया जाएगा. यदि कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पात्रताओं को पूरा कर लेता है, तो कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) को इसे तुरंत लिखित रूप में आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करना होगा. यदि RBI द्वारा निर्धारित ऐसे किसी भी शुल्क के लिए पासपोर्ट को दिखाने की आवश्यकता है, तो पासपोर्ट को दिखाने का दायित्व पूरी तरह से कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) पर होगा. कार्ड धारक द्वारा RBI द्वारा जारी प्रचलित

विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करने में किसी भी विफलता के मामले में, वह समय–समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, और आईसीआईसीआई बैंक या आरबीआई द्वारा कार्ड सुविधा से वंचित किया जाएगा. आईसीआईसीआई बैंक को कार्ड धारक के अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी होने पर भी आईसीआईसीआई बैंक समय–समय पर जारी RBI दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा (फॉरेन एक्सचेंज) पात्रताओं से अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी शुल्क के घटने से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेगा.

यदि कोई लेनदेन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा (करंसी) में किया जाता है, तो वह लेनदेन भारतीय रुपये में परिवर्तित हो जाएगा. परिवर्तन उस तिथि को होगा जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक के साथ लेनदेन का निपटारा होगा, ना कि उस तिथि को जिस दिन लेनदेन किया गया था. यदि लेनदेन US डॉलर में नहीं है, तो पहले परिवर्तन US डॉलर के माध्यम से, चार्ज की गई राशि को US डॉलर में परिवर्तित करके और फिर उस US डॉलर राशि को भारतीय रुपये में परिवर्तित करके किया जाएगा.

जब तक लागू कानून के अनुसार एक विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में परिवर्तन दर निपटान तिथि पर वीज़ा, मास्टरकार्ड और एएमईएक्स द्वारा प्रदान की गई दरों पर होगी, जो इस तरह के लेनदेन पर मुद्रा रूपांतरण कारक (करंसी कंवर्जन फैक्टर) मूल्यांकन द्वारा बढ़ाई गई है.

XXV. आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड रिवाड्र्स

आईसीआईसीआई बैंक कार्ड सदस्य/सदस्यों को निम्नलिखित क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट स्कीम प्रदान करेगा:

1. ''आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स स्कीम'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक की रिवॉर्ड स्कीम होगा.

   ''आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स'' आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स स्कीम के तहत दिए जाने वाले रिवार्ड पॉइंट होंगे.

2. ''हैण्ड–पिक्ड रिवाड्र्स स्कीम'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक की प्रीमियम रिवॉर्ड स्कीम है. ''हैण्ड–पिक्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स'' हैण्ड–पिक्ड रिवाड्र्स स्कीम के तहत दिए जाने वाले रिवाड्र्स पॉइंट्स होंगे.

3. ''पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स'' का अर्थ पेबैक के साथ आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड स्कीम है.

   ''पेबैक पॉइंट्स'' पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स के तहत दिए जाने वाले रिवार्ड पॉइंट होंगे.

   ''पेबैक'' इस ब्रांड नाम के तहत LSRPL के रिवॉर्ड प्रोग्राम को संदर्भित करता है. ''LSRPL'' का अर्थ लॉयल्टी सॉल्यूशंस एंड रिसर्च लिमिटेड है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निगमित कंपनी है एवं पेबैक के ब्रांड

नाम से फ्लोरेंस, जेएल नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रूज (पू), मुंबई 400055 (इसके बाद '' LSRPL'' के रूप में संदर्भित होने का अर्थ है जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट शामिल हैं) में इसका पंजीकृत कार्यालय है. ''पेबैक कार्ड'' का अर्थ LSRPL द्वारा जारी किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार पेबैक पॉइंट को रिडीम करने के लिए LSRPL द्वारा जारी किया गया कार्ड होगा.

''पेबैक मेम्बर'' का अर्थ जिस व्यक्ति के पास पेबैक कार्ड है वह व्यक्ति और पेबैक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पेबैक के साथ पंजीकृत है.

''पेबैक मेम्बरशिप डाटा'' का अर्थ है कार्ड सदस्य/यों का डाटा या आईसीआईसीआई बैंक के पास उपलब्ध क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी यानी (i) नाम (ii) ईमेल पता (iii) मोबाइल नंबर (iv) जन्मतिथि (v) पता (vi) क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर.

''पेबैक वेबसाइट'' का अर्थ url:www.payback.in वेबसाइट होगा.

''डेलिनक्वेंट अकाउंट (अपराधी खाता)'' का अर्थ है ऐसा खाता जिसमें नियमों एवं शर्तों के तहत पेमेंट क्लॉज़ (भुगतान खंड) में निर्दिष्ट अनुसार भुगतान नहीं किया गया है.

''इफेक्टिव डेट (प्रभावी तिथि)'' का अर्थ वह तिथि है जब से पेबैक स्कीम द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स शुरू होता है, जिसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर कार्डधारकों (कार्ड मेम्बर) को सूचित किया जाएगा. हालांकि, पेबैक के साथ पंजीकरण की तिथि से ही कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स के तहत उपलब्ध लाभों का लाभ उठा सकता है.

''स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना बंद करने की तिथि)'' का अर्थ वह तिथि है जिस दिन आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड स्कीम को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से बंद कर दिया गया है.

''वैलिड चार्ज (वैध शुल्क)'' का अर्थ है कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा कार्ड पर सामान या सेवाओं की खरीद के लिए किया गया शुल्क और कोई अन्य शुल्क जो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स स्कीम में शामिल करने के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है.

यदि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित किसी प्रचार योजना की अवधि के दौरान या उसके बाद, कार्ड का उपयोग करने का अधिकार वापस ले लिया जाता है, या रद्द कर दिया जाता है, या रद्द करने के लिए उत्तरदायी होता है, या उस कार्ड खाते को एक डेलिनक्वेंट अकाउंट (अपराधी खाता) कहा जाता है, तो कोई भी प्रस्ताव/लाभ लेकिन यह केवल उपहार/छूट/प्रोन्नति अवधि के दौरान दिए जाने वाले कैश–बैक तक सीमित नहीं है, यह कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के लिए तत्काल और स्वतः रद्द हो जाएगा.

''एनिवर्सरी इयर (वर्षगांठ वर्ष)'' का अर्थ कार्ड जारी होने की तिथि से बारह महीने की अवधि और उसके बाद आने वाले प्रत्येक बारह महीने की अवधि से है.

1. आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‍र्स स्कीम पर लागू नियम और शर्तें:

(i) आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‍र्स स्कीम इफेक्टिव डेट (प्रभावी तिथि) से लागू होगी और इफेक्टिव डेट (प्रभावी तिथि) को और उसके बाद केवल चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी.

(ii) आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‍र्स स्कीम के तहत, आईसीआईसीआई बैंक चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर कार्ड धारक द्वारा किए गए वैलिड चार्जेज (वैध शुल्क) के लिए आईसीआईसीआई बैंक रिवार्ड पॉइंट प्रदान करेगा.

(iii) आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करने वाला सिस्टम रिवॉर्ड अर्जित करने वाले वर्ष की सालगिरह का अनुसरण करेगा.

(iv) आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‍र्स स्कीम के तहत कार्ड धारक द्वारा अर्जित किए गए आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड धारक को भेजे गए मासिक विवरण में दर्शाए जाएंगे.

(v) कार्ड धारक अपने संचयित आईसीआईसीआई बैंक रिवार्ड पॉइंट्स को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर किए गए रिडिम्पशन ऑफ़र के साथ रीडिम कर सकता है.

(vi) आईसीआईसीआई बैंक रिवार्ड पॉइंट्स को रीडिम करने पर, आईसीआईसीआई बैंक रिवार्ड पॉइंट्स को रीडिम कर दिया जाएगा और जो आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड कार्ड में उपलब्ध रिवॉर्ड पॉइंट्स स्वचालित रूप से घट या डेबिट हो जाएंगे.

(vii) यदि स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) से पहले किसी भी समय चुने गए कार्ड का उपयोग वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या रद्द करने के लिए उत्तरदायी होता है या कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को अपराधी खाता (डेलिनक्वेंट अकाउंट) समझा जाता है, तो कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध सभी आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स तुरंत और स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे.

(viii) इस तरह से रद्द किये गए आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड खाते में जमा नहीं किए जाएंगे, फिर चाहे कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपनी सदस्यता को पुन: स्थापित कर दें.

(ix) स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) के अंत में, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के खाते में जमा आईसीआईसीआई बैंक के रिवार्ड पॉइंट, जिन्हें दिए गए समय के भीतर रीडिम नहीं किया जाता है, तो वह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे.

2. हैण्ड–पिक्ड रिवाड्‌र्स स्कीम पर लागू नियम व शर्तें:

(i) हैण्ड–पिक्ड रिवाड्‌र्स स्कीम इफेक्टिव डेट (प्रभावी तिथि) से लागू होगी और इफेक्टिव डेट (प्रभावी तिथि) को और उसके बाद केवल चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड धारक सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी.

(ii) हैण्ड–पिक्ड रिवाड्‌र्स स्कीम के तहत, आईसीआईसीआई बैंक चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर कार्ड धारक द्वारा किए गए वैलिड चार्जेज (वैध शुल्क) के लिए हैण्ड–पिक्ड रिवार्ड पॉइंट प्रदान करेगा.

(iii) हैण्ड–पिक्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करने वाला सिस्टम रिवॉर्ड अर्जित करने वाले वर्ष की सालगिरह का अनुसरण करेगा.

(iv) हैण्ड–पिक्ड रिवाड्‌र्स स्कीम के तहत कार्ड धारक द्वारा अर्जित किए गए हैण्ड–पिक्ड रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड धारक को भेजे गए मासिक विवरण में दर्शाए जाएंगे.

(v) कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट www.icicibank.com पर उपलब्ध हैंड–पिक्ड रिवाड्‌र्स कैटलॉग में जाकर समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए रिडिम्पशन ऑफर के साथ अपने संचित हैण्ड–पिक्ड रिवाड्‌र्स पॉइंट्स को रीडिम कर सकता है.

(vi) हैण्ड–पिक्ड रिवार्ड पॉइंट्स को रीडिम करने पर, इस तरह रीडिम गए हैण्ड–पिक्ड रिवार्ड पॉइंट्स कार्ड खाते में जमा हुए हैंड पिक्ड रिवार्ड पॉइंट्स से स्वतः ही घट या डेबिट हो जाएंगे.

(vii) यदि स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) से पहले किसी भी समय चुने गए कार्ड का उपयोग वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या रद्द करने के लिए उत्तरदायी होता है या कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को अपराधी खाता (डेलिनक्वेंट अकाउंट) समझा जाता है, तो कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध सभी हैण्ड पिक्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स तुरंत और स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे.

(viii) इस तरह से रद्द किये गए आईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड खाते में जमा नहीं किए जाएंगे, फिर चाहे कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपनी सदस्यता को पुन: स्थापित कर दें.

स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) के अंत में, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के खाते में जमा हैण्ड पिक्ड रिवार्ड पॉइंट, जिन्हें दिए गए समय के भीतर रीडिम नहीं किया जाता है, तो वह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे.

1. पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‌र्स पर लागू नियम और शर्तें:

पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‌र्स प्रभावी तिथि से लागू होंगे और प्रभावी तिथि को और उसके बाद केवल चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक/कों के लिए उपलब्ध होंगे.

पेबैक मेम्बरशिप डाटा को पेबैक खाते में अपडेट करने के लिए LSRPL और उसके सहयोगियों के साथ साझा किया जाएगा और पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‌र्स के संबंध में कार्ड सदस्य/सदस्यों को सेवाएं और लाभ प्रदान करेंगे.

(i) पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‌र्स के तहत, आईसीआईसीआई बैंक चुनिंदा आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर कार्ड धारक द्वारा किए गए वैलिड चार्ज (वैध शुल्क) के लिए पेबैक पॉइंट प्रदान करेगा.

(ii) पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्‌र्स के तहत कार्ड धारक द्वारा अर्जित किए गए पेबैक पॉइंट्‌स कार्ड धारक को भेजे गए मासिक विवरण में दर्शाए जाएंगे. प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में, इस तरह के पिछले बिलिंग चक्र के लिए वैध लेनदेन पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पेबैक पॉइंट्‌स को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड खाते से कार्ड सदस्य के पेबैक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे.

(iii) पेबैक सदस्य बनने पर और पेबैक रिवार्ड कैटलॉग में उपलब्ध वस्तुओं के लिए पेबैक कार्ड का उपयोग करके कार्ड सदस्य अपने पेबैक पॉइंट्‌स को रीडिम कर पाएगा. इसका विवरण LSRPL द्वारा पेबैक सदस्य/सदस्यों को सूचित किया जा सकता है या इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए और पेबैक सदस्य बनने के लिए, कार्ड सदस्य, पेबैक वेबसाइट पर जा सकते हैं. पेबैक पॉइंट्‌स को रीडिम करने पर, इस तरह रीडिम गए पेबैक पॉइंट्‌स कार्ड खाते में जमा हुए पेबैक पॉइंट्‌स से स्वतः ही घट या डेबिट हो जाएंगे.

(iv) यदि स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) से पहले किसी भी समय चुने गए कार्ड का उपयोग वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या रद्द करने के लिए उत्तरदायी होता है या कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को अपराधी खाता (डेलिनक्वेंट अकाउंट) समझा जाता है, तो कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध सभी पेबैक पॉइंट्‌स तुरंत और स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे.

(v) इस तरह से रद्द किये गए पेबैक पॉइंट्‌स कार्ड खाते में जमा नहीं किए जाएंगे, फिर चाहे कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपनी सदस्यता को पुन: स्थापित कर दें.

(vi) स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) के अंत में, कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) के खाते में जमा पेबैक पॉइंट्‌स, जिन्हें दिए गए समय के भीतर रीडिम नहीं किया जाता है, तो वह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे.

इसके अलावा, पेबैक वेबसाइट पर समय–समय पर प्रदान किए गए नियमों और शर्तों में पेबैक द्वारा दिए गए समय के भीतर रिडीम नहीं किए जाने पर पेबैक पॉइंट समाप्त हो सकते हैं और उपयोग के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं.

(vii) यदि स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) के अंत में या स्कीम टर्मिनेशन डेट से पहले किसी भी समय चुने गए कार्ड का उपयोग वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है या रद्द करने के लिए उत्तरदायी होता है या कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) को अपराधी खाता (डेलिनक्वेंट अकाउंट) समझा जाता है, तो कार्ड सदस्य पेबैक सदस्य बना रहेगा और पेबैक मेम्बरशिप डाटा पेबैक खाते से नहीं हटाया जाएगा.

(viii) पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स के तहत, नियमों और शर्तों के अलावा, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, कार्ड सदस्य पेबैक प्वाइंट रीडिम्पशन के लिए LSRPL की शर्तों द्वारा भी नियंत्रित होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया www.payback.in पर जाएँ. यहां दीगयी शर्तों और पेबैक वेबसाइट पर उपलब्ध शर्तों के बीच किसी भी विरोधाभास के मामले में, पेबैक वेबसाइट पर उपलब्ध शर्तें मान्य होंगी. पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स से संबंधित कोई भी विवाद, यदि कोई हो, तो LSRPL के साथ कार्डधारक द्वारा सीधे हल किया जाएगा, बिना किसी संदर्भ या आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी तरह से सहारा नहीं लिया जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक ऐसे किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स के तहत कार्ड सदस्य और LSRPL के बीच उत्पन्न होगा.

(ix) निम्नलिखित नियम व शर्तेंआईसीआईसीआई बैंक रिवॉर्ड स्कीम, हैण्ड पिक्ड रिवाड्र्स स्कीम और साथ ही पेबैक द्वारा संचालित आईसीआईसीआई बैंक रिवाड्र्स पर भी लागू होंगी (यहाँ सामूहिक रूप से ''स्कीम्स (योजनाओं)'' के रूप में और व्यक्तिगत रूप से ''रेस्पेक्टिव स्कीम (संबंधित योजना)'' के रूप में संदर्भित होगा): यह स्कीम्स, संबंधित स्कीम की प्रभावी तिथि पर डेलिनक्वेंट अकाउंट के साथ कार्ड मेम्बर्स या किसी ऐसे कार्ड खातों के लिए जो स्कीम्स की अवधि के दौरान डेलिनक्वेंट हो जाते हैं, के लिए लागू नहीं होती है.

आईसीआईसीआई बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्ड धारक/कों को अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट प्रदान कर सकता है. योजनाओं के तहत आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए जाने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की गणना अंतिम, निर्णायक और कार्ड धारक के लिए बाध्यकारी होगी और बैंक किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. सरकार या कानून (केंद्रीय, राज्य या स्थानीय) द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था को देय कोई भी कर या अन्य देनदारियां या शुल्क, जो संबंधित योजना के तहत रिवार्ड पॉइंट के रिडिम्पशन द्वारा कार्ड

धारक को उत्पन्न या अर्जित हो सकते हैं, जैसा कि पूर्वोक्त है, उसके लिए कार्ड सदस्य इसका एकमात्र उत्तरदायी होगा. स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो, माल/सेवाओं के मौद्रिक (मोनेटरी) मूल्य पर कार्ड धारक द्वारा देय होगा.

- स्कीम टर्मिनेशन डेट (योजना समाप्ति तिथि) के बाद स्कीम या समान स्कीम द्वारा प्रतिस्थापन या नई स्कीम को जारी रखने के लिए यहाँ निहित कुछ भी आईसीएआईसीआई बैंक या पेबैक पर बाध्यकारी नहीं समझा जाएगा.
- रिवॉर्ड प्वॉइंट का रिडिम्पशन संपूर्ण रूप से स्वैच्छिक है और सभी संबंधित शुल्कों को क्रेडिट कार्ड के सामान्य उपयोग के दौरान कार्ड धारक द्वारा स्वेच्छा से वहन किया गया माना जाएगा.
- कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) किसी भी कार्य, दावे, मांग, देनदारियों, नुकसान, क्षतियों, लागतों, शुल्कों या खर्चों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, जो कि क्रेडिट कार्ड के सामान्य उपयोग के दौरान कार्ड धारक द्वारा वहन किया जाता है.
- आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड खाते को बंद करने या कार्ड की समाप्ति/रद्दीकरण या संबंधित योजना की समाप्ति/रद्दीकरण के मामले में संबंधित योजनाओं के तहत कार्ड धारक द्वारा अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
- आईसीआईसीआई बैंक किसी भी समय और कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को पूर्व सूचित किये बिना, सभी या आंशिक रूप से जोड़ने, परिवर्तन करने, संशोधित करने, बदलने या तबदील या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय – समय पर पेश की जाने वाली स्कीम्स या किसी अन्य रिवार्ड पॉइंट स्कीम को पूरी तरह से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है. कार्ड धारक/सदस्य ध्यान दें कि विभिन्न प्रकार के आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड प्वॉइंट्स की प्राप्ति भिन्न–भिन्न रूप से होगी और यह संबंधित क्रेडिट कार्ड पत्र में उल्लिखित किया जाएगा, अन्यथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सूचित किया जाएगा.
- यहां दिए गए नियमों एवं शर्तों के अनुसार रिवॉर्ड पॉइंट रिडिम्पशन केवल प्राथमिक कार्ड धारक (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) द्वारा किए गए अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा. कार्ड धारक/कों को खुदरा लेनदेन/नों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट/ अंक अर्जित करेंगे. हालांकि कार्ड धारक खुदरा लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने के हकदार नहीं होंगे उन्हें बाद में वापस कर दिया गया है.

- आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, कुछ समयके लिए या प्रचार योजना/योजनाओं के रूप में या विशिष्ट प्रोमो/योजनाओं के लिए अपने विवेकाधिकार पर किसी भी अन्य खुदरा लेनदेन के लिए बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रदान कर सकता है.
- योग्य प्राथमिक (प्राइमरी), पूरक (सप्लीमेंट्री) या मल्टिपल काड्र्स के मामले में रिवाड्र्स पॉइंट्स व्यक्तिगत कार्ड खाते में जमा होंगे. पूरक (सप्लीमेंट्री) कार्ड और/या किसी भी मल्टिपल कार्ड (कार्डों) द्वारा किए गए खुदरा लेन–देन, यदि कोई हो, पर रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा होंगे जो स्वचालित रूप से प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के कार्ड खाते में जमा होंगे.
- कार्ड सदस्य/यों कैश विथड्राल एडवांसेज और कार्ड पर लागू होने वाले अन्य प्रकार के शुल्क से संबंधित लेनदेनों के लिए रिवाड्र्स पॉइंट्स अर्जित करने के पात्र नहीं होंगे जैसे कि कोइ भी जोइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क, सप्लीमेंट्री कार्ड शुल्क, मल्टिपल कार्ड शुल्क, बैलेंस ट्रांसफर शुल्क, EMI लेनदेन, कैश एडवांस शुल्क, अस्वीकृत चेक के लिए शुल्क, वित्तीय शुल्क, चूक के लिए शुल्क, लेट पेमेंट शुल्क, सर्विस शुल्क लेकिन यही तक सीमित नहीं है और कोई अन्य शुल्क/प्रभार जो समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लगाया जा सकता है. एक बार प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) द्वारा रिडिम्पशन के विकल्प का उपयोग करने के बाद किसी भी कार्ड सदस्य द्वारा इसे रद्द/वापस/बदला नहीं जा सकता है.
- किसी विशिष्ट योजना/प्रमोशनल ऑफर के तहत एक बार बदले गए रिवार्ड पॉइंट्स जो या तो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा या आईसीआईसीआई बैंक के व्यापारी भागीदार/हिस्सा लेने वाले भागीदार के साथ टाई–अप या प्रोग्राम किए गए किसी अन्य पार्टनर की लॉयल्टी के लिए दिए जा सकते हैं, कार्ड सदस्य के कहने पर बाद में कार्ड अकाउंट में वापस ट्रांसफर नहीं किए जा सकते या रद्द नहीं किए जा सकते और आईसीआईसीआई बैंक किसी भी व्यापारी भागीदार/हिस्सा लेने वाले भागीदार प्रोग्राम में परिवर्तित/ट्रांसफर किए गए रिवार्ड पॉइंट्स के लिए या अन्यथा जहां भी रिवार्ड पॉइंट्स का ऐसा रूपांतरण/ट्रांसफर लागू होता है, के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
- रिडिम्पशन कैटलॉग में पेश किए गए उत्पादों का चयन, उनको शामिल करना या हटाना केवल आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर होगा और बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन होगा.
- रिडिम्पशन कैटलॉग या संबंधित वेब पेजों में वस्तुओं/सेवाओं के सभी चित्र केवल सांकेतिक हैं. जहां कार्ड सदस्यों को पेश किए गए उत्पादों के किसी भी निर्माता के आपूर्तिकर्ता उत्पादों को वापस लेते हैं,

रद्द करते हैं, बदलते हैं या संशोधित करते हैं, तो इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा.

- रिडिम्पशन के लिए उपलब्ध सभी उत्पाद/वाउचर/सेवाएं उसकी उपलब्धता और रिडिम्पशन के समय निर्माता की वारंटी/प्रतिबंधों के अधीन हैं.
- आईसीआईसीआई बैंक उत्पादों / वाउचरों / सेवाओं की गुणवत्ता, उपयोगिता और योग्यता के बारे में कोई गारंटी नहीं देता है और न ही कोई प्रतिनिधित्व करता है और यदि वे किसी भी तरह से दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. आईसीआईसीआई बैंक यह प्रयास करेगा कि सामान 10 कार्य दिवसों के भीतर आप तक पहुंचाया जाए. इसके बावजूद, आईसीआईसीआई बैंक को माल की डिलीवरी में होने वाली किसी भी देरी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा. कार्ड धारक द्वारा अर्जित किए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स का कोई नकद या मौद्रिक (मोनेटरी) मूल्य नहीं है और इसे नकद में परिवर्तित नहीं जा सकता है.
- जहां कहीं भी प्रतिबंधित है और/या ऐसी वस्तुओं/उत्पादों/सेवाओं पर स्कीम्स उपलब्ध नहीं हैं, जिनके लिए ऐसी स्कीम्स किसी भी कारण से पेश नहीं की जा सकतीं.
- रिडिम्पशन सूची में उल्लिखित सामान/सेवाएं गैर–हस्तांतरणीय और गैर–नकदीकरण योग्य हैं.
- आईसीआईसीआई बैंक बिना कोई कारण बताए या कार्ड धारक को बिना किसी पूर्व सूचना के स्कीम्स पर लागू सभी या किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित/बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

  आईसीआईसीआई बैंक बिना कोई कारण बताए या बिना किसी पूर्व सूचना के स्कीम्स को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. इसमें निहित कुछ भी स्कीम्स को जारी रखने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए प्रतिबद्ध या प्रतिनिधित्व के बराबर नहीं होगा.

  स्कीम्स के तहत कार्ड धारक को दिए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं/पुरस्कारों से संबंधित किसी भी पत्र/नोटिस पर कार्ड धारक को ऐसे उत्पादों/सेवाओं/पुरस्कारों की डिलीवरी करने के 10 दिनों के भीतर विचार किया जाएगा. 10 दिनों के बाद किए गए किसी भी दावे पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा. उत्पाद/सेवाओं/पुरस्कारों के संबंध में कोई विवाद होने पर, आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ दावा नहीं माना जाएगा.

- उत्पादों / सेवाओं / पुरस्कारों की डिलीवरी स्टेटस को डिलीवरी के 30 दिनों के बाद ही ट्रैक किया जा सकता है. डिलीवरी स्टेटस के लिए बाद में किसी भी सन्देश पर विचार नहीं किया जाएगा.
- नियम और शर्तें प्राथमिक नियमों और शर्तों के प्रतिस्थापन/अवमानना के अतिरिक्त होंगी.

  इसमें निहित होते हुए भी, विवाद, यदि कोई हो, जो स्कीम्स के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, मुंबई न्यायालयों के न्याय क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे.

XXVI. घोषणा

कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों को अन्य आईसीआईसीआई ग्रुप कंपनियों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों/नियामक प्राधिकरणों/सांविधिक निकाय/कर प्राधिकरण/केंद्रीय सूचना ब्यूरो/ऐसे अन्य व्यक्ति को अपने आवेदन से संबंधित सभी सूचनाओं, डाटा या दस्तावेजों के आदान–प्रदान, साझा या भाग का दायित्व और अधिकार देता है और आईसीआईसीआई बैंक/इसकी ग्रुप कंपनियां ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उक्त जानकारी/डाटा के उपयोग या प्रसंस्करण के लिए आवश्यक या उचित समझी जा सकती हैं या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट को संसाधित जानकारी/डाटा/उत्पाद प्रस्तुत कर सकती हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ पंजीकृत प्रदाता/उपयोगकर्ता और इस जानकारी के उपयोग के लिए आईसीआईसीआई बैंक/इसकी ग्रुप कंपनियों को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे. यदि कार्ड धारक किसी वित्तीय सहायता/सुविधाओं/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा या देय ब्याज/प्रभार के मूलधन के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो आईसीआईसीआई बैंक और/या उसके पास डिफ़ॉल्ट के विवरण और कार्ड सदस्य/या उसके निदेशकों/साझेदारों/पूरक कार्डधारकों के नाम, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक या RBI अपने पूर्ण विवेक से उचित समझ सकते हैं, को डिफॉल्टरों के रूप में इस तरह और इस तरह के माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा.

आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के संदर्भ में क्रेडिट हिस्ट्री/पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और/या कार्ड सदस्य की पिछली देय स्थिति से संबंधित जानकारी को स्टेटमेंट के माध्यम से क्रेडिट सूचना ब्यूरो (विशेष रूप से RBI द्वारा अधिकृत) के सामने प्रकट करेगा.

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की स्वीकृति कार्ड सदस्य की क्रेडिट योग्यता की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होने पर आधारित है. आईसीआईसीआई बैंक अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को कार्ड खाते में किसी भी तरह की गड़बड़ी या कार्ड के माध्यम से कार्ड सदस्य की क्रेडिट सुविधा की निकासी या अन्यथा रिपोर्ट कर सकता है. प्रतिकूल रिपोर्ट (कार्ड सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित) की प्राप्ति के आधार पर, आईसीआईसीआई बैंक, लिखित में 15 दिनों की पूर्व सूचना के बाद, क्रेडिट कार्ड को रद्द कर सकता है, और उस समय कार्ड की संपूर्ण बकाया राशि खाते के साथ–

साथ कार्ड के उपयोग से होने वाले किसी भी अन्य शुल्क, हालांकि जिनका अभी तक कार्ड खाते में बिल नहीं किया गया है, कार्ड सदस्य द्वारा तुरंत अदा करना होगा. आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक को उस बैंक या वित्तीय संस्था के नाम का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जहां से उसने जानकारी प्राप्त की थी या जिसने उनको जानकारी दी थी.

आईसीआईसीआई बैंक/ग्रुप कंपनियां आवेदन पत्र और उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों, फोटो को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं, और उन्हें वापस नहीं करेंगी.

XXVII. ऋण (डेब्ट) की आपूर्ति

आईसीआईसीआई बैंक के पास किसी भी तरीके से, संपूर्ण या आंशिक रूप से, क्रेडिट कार्ड बकाया और कार्ड धारक की जानकारी में या जानकारी के बिना अपनी पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को देय राशि को स्थानांतरित करने, नियुक्त करने और बेचने का अधिकार होगा. ऐसी किसी भी बिक्री, नियुक्ति या ट्रांसफर के लिए, आईसीआईसीआई बैंक कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सशक्त होगा. कार्ड सदस्य ऐसी किसी भी नियुक्ति, बिक्री या हस्तांतरण और बकाया और देय राशि की वसूली के लिए सभी लागतों और खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा.

XXVIII. विविध

आईसीआईसीआई बैंक उन कार्ड सदस्यों को जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट नियमों का पालन कर अपने खातों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा है, और इन नियम व शर्तों पर, जहां उनको उचित लगे ऐसी शुल्क पर उनकों कुछ ख़ास फैसिलिटी (सुविधाएं), मेम्बरशिप्स (सदस्यता) और सेवाएँ प्रदान करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है. आईसीआईसीआई बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के और कार्ड धारक के जानकारी के बिना किसी भी समय शुल्क माफ करने या कम करने और इस तरह के लाभ को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है. इन नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण मेम्बरशिप (सदस्यता) की किसी भी समाप्ति का परिणाम स्वचालित रूप से ऐसी सुविधाओं और सेवाओं की समाप्ति के रूप में होगा. आईसीआईसीआई बैंक ऐसी फैसिलिटी (सुविधाओं), मेम्बरशिप (सदस्यता) या सेवाएँ या गैर–प्रदर्शन में दोष या उल्लंघन के मामले में, फिर चाहे वह आईसीआईसीआई बैंक या व्यापारी संस्था या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा किया गया हो, जिम्मेदार नहीं होगा. आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक/सहकर्मियों द्वारा की जाने वाली विपणन गतिविधियों के लिए, अपनी एप्लीकेशन पर और सर्वेक्षण के दौरान, उपभोक्ता रिपोर्ट सहित बाहरी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

आईसीआईसीआई बैंक इस जानकारी का उपयोग उन मेलिंग सूचियों के लिए कर सकता है जिनका उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जिनके साथ आईसीआईसीआई बैंक कार्ड सदस्यों के लिए मार्केटिंग ऑफ़र विकसित करने के लिए काम करेगा. आईसीआईसीआई बैंक समय–समय पर कार्ड पर दी जाने वाली पॉलिसियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित

करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और कार्ड धारक को किसी भी ऐसे संशोधन/परिवर्तन के बारे में जैसे भी उचित समझा जाए सूचित कर सकता है. कार्ड धारक ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों के लिए बाध्य होगा जब तक कि संशोधन/परिवर्तन किए जाने की तिथि से पहले कार्ड रद्द करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक को वापस नहीं किया जाता है.

कार्ड सदस्य के कार्ड खाते में दर्ज सभी लेनदेन का विवरण क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों, उधारदाताओं और/या अन्य एजेंसियों के साथ कार्ड सदस्य और/या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रेडिट के लिए आगे के आवेदनों का मूल्यांकन करने और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए साझा किया जा सकता है. कानून द्वारा या किसी अन्य समझौते के तहत सेट ऑफ या अन्य अधिकार प्रदान करने के सामान्य अधिकार के अलावा, आईसीआईसीआई बैंक, बिना किसी सूचना के, कार्ड खाते पर स्थायी शेष राशि को किसी अन्य खाते (खातों) के साथ जोड़ या समेकित कर सकता है, जिसे कार्ड धारक आईसीआईसीआई बैंक और उसकी ग्रुप कंपनियों के पास बनाए रखता है, और अपने कार्ड खाते के तहत आईसीआईसीआई बैंक के प्रति कार्ड धारक की देयता की संतुष्टि के लिए या ऐसे अन्य खाते (खातों) के क्रेडिट में जमा धन को सेट–ऑफ या ट्रांसफर करता है. कार्ड के लिए आवेदन पत्र में बताए गए संचार के लिए कार्ड धारक अपने नाम, पता, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी में किसी भी बदलाव के बारे में आईसीआईसीआई बैंक को तुरंत सूचित करेगा. यदि आईसीआईसीआई बैंक की जानकारी में पते में परिवर्तन आता है तो आईसीआईसीआई बैंक अपने रिकॉर्ड में कार्ड सदस्य के पते को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्ड धारक की होगी कि आईसीआईसीआई बैंक को पत्र व्यवहार के लिए सही पते के बारे में सूचित किया गया है या नहीं और आईसीआईसीआई बैंक के पास गलत पता होने के मामले में सभी देयताओं को अस्वीकार करता है जिसके परिणामस्वरूप कार्ड धारक के लिए कोई नुकसान या दायित्व होता है.

कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) प्राप्त सुविधाओं/सेवाओं के लिए समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक या उसके सहयोगियों द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा. इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, कॉल सेंटर, टेलीसर्विस ऑपरेशन (चाहे वोइस, वीडियो. डाटा या उनका संयोजन) या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, ऑटोमेटेड मशीन नेटवर्क या टेलीकम्युनिकेशन (दूरसंचार) के अन्य माध्यमों सहित रिमोट ट्रांस्जेक्शन करने के लिए सुविधाओं के द्वारा या सुविधाओं के माध्यम से प्रभावित ऐसे सभी लेनदेन, आईसीआईसीआई बैंक या उसके सहयोगियों द्वारा या उनकी ओर से स्थापित, ऐसी सुविधाओं / सेवाओं के संबंध में और उनके संबंध में, आईसीआईसीआई बैंक या उसके सहयोगी ऐसी सुविधाओं/सेवाओं के लिए, जो समय–समय पर निर्धारित की जा सकती हैं के द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालन में और अनुपालन में किए जाने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी और वैध लेनदेन का गठन करेगा.

(C) क्रॉस करेंसी सेट–ऑफ के मामले में, आईसीआईसीआई बैंक और/या इसकी समूह कंपनियों के विवेकाधिकार पर निर्धारित दर पर एक मुद्रा में दूसरी मुद्रा में एक दायित्व को परिवर्तित करना.

XXIX. विवादों का निपटारा

1. स्वचालित रूप से विवाद समाधान: कार्डधारक की आपत्ति, दावों, विवादों या शिकायतों (जिन्हें एकसाथ ''शिकायत/तों'' कहा जाता है) को आईसीआईसीआई के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करके ऑटोमेटेड मोड या संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मान्य (या नहीं) होने में सक्षम तथ्यात्मक मामलों से संबंधित शिकायतों का पता लगाया जाएगा और ऐसी शिकायतों (संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से) की स्वीकृति या अस्वीकृति तय होगी और यह तय होने पर असंतुष्ट कार्ड धारक को विधिवत सूचित किया जाएगा. शिकायत/तों को पूर्ण या आंशिक रूप से वैध मानने पर आईसीआईसीआई बैंक असंतुष्ट कार्ड धारक को उचित समाधान प्रदान करेगा.
2. आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया: शिकायतें जो ऊपर निर्दिष्ट ऑटोमेटेड मोड द्वारा अनसुलझी हैं, या यदि कार्डधारक निर्दिष्ट ऑटोमेटेड मोड के माध्यम से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, या जो ऑटोमेटेड मोड के प्रभावी होने से पहले ही सामने आयी थी, और निवारण के लिए उठाए जानी चाहिए और यह www.icicibank.com पर उपलब्ध ग्राहक शिकायत निवारण नीति के अनुसार, समय–समय पर संशोधित नीति के अनुसार समाधान के लिए रखा जा सकता है
3. ऑनलाइन विवादों का समाधान: शिकायतें (नीचे उल्लिखित अपवादों के अधीन), कोई भी दावा या कार्रवाई जिसकी शुरुआत (साथ में दावा/वों कहा जाता है) बैंक द्वारा की जा सकती है और कोई अन्य दावा या विवाद (चाहे अनुबंध में, अपकार में या अन्यथा) जो इन नियमों और शर्तों के तहत या इसके संबंध में हो, जिसमें निर्माण, अर्थ, अस्तित्व, वैधता, उल्लंघन, वापस बुलाना, वसूली या इन शर्तों के तहत समाप्ति के संबंध में कोई प्रश्न शामिल है, उन्हें मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से समाधान के लिए आगे बढाया जा सकता है, और एक स्वतंत्र ऑनलाइन विवाद समाधान संस्था समा के लागू मध्यस्थता या सुलह नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

   यदि मध्यस्थता या सुलह प्रक्रिया समा नियमों में निर्धारित अवधि के भीतर या 21 दिनों की अवधि (जो भी पहले हो) के भीतर शिकायत या दावे का समाधान नहीं करती है, तो समा के लागू नियमों के अनुसार और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एंड कंसाईलेशन एक्ट, 1996) के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से शिकायत या दावे को समाधान के लिए आगे बढ़ाया जाएगा. समा द्वारा अपनी वेबसाइट/प्लेटफॉर्म www.sama.live या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इस तरह की मध्यस्थता (सबूत की रिकॉर्डिंग

या दस्तावेजों की निविदा सहित) आयोजित की जाएगी. मध्यस्थ न्यायाधिकरण में समा के लागू मध्यस्थता नियमों के अनुसार नियुक्त एकमात्र स्वतंत्र मध्यस्थ होगा.

मध्यस्थता कार्यवाही की सीट मुंबई होगी. मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून समा द्वारा तय किये गए नियम होंगे.

4. ऑनलाइन विवाद समाधान प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
   a) वैधानिक, नियामक और सरकारी प्राधिकरणों से या उनके माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायत/तें. वैधानिक, नियामक और सरकारी प्राधिकरण से या उसके माध्यम से प्राप्त ऐसी शिकायतों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को ऐसे प्राधिकरणों द्वारा उलिखित मोड़ और उस तरीके से संबोधित करने और जवाब देने की आवश्यकता होगी.
   b) शिकायत/तें जिनमें तृतीय पक्ष की निर्भरता हो सकती है– आईसीआईसीआई बैंक केवल तृतीय पक्ष/क्षों द्वारा सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही शिकायत/शिकायतों की समीक्षा, मूल्यांकन और समाधान करने में सक्षम होगा.
   c) कोई भी शिकायत/तें जो ऊपर निर्दिष्ट ऑटोमेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तहत या बैंक की ग्राहक शिकायत निवारण नीति के अनुसार निवारण के लिए प्रतीक्षा में हैं.

XXX. नियम व शर्तों में परिवर्तन

आईसीआईसीआई बैंक के पास किसी भी समय मौजूदा शेष राशि, ब्याज शुल्क या दरों और गणना के तरीकों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों सहित कार्ड पर दिए गए किसी भी नियम और शर्तों, सुविधाओं और लाभों में संशोधन या पूरक करने का पूर्ण विवेक होगा. इन संशोधित नियमों और शर्तों के तहत सभी शुल्कों और अन्य सभी दायित्वों के लिए कार्ड सदस्य कार्ड के तहत सभी राशियों का पूरा भुगतान नहीं किए जाने पर उत्तरदायी होगा. आईसीआईसीआई बैंक संशोधित शर्तों को इन्फिनिटी पर होस्ट करके या आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से सूचित कर सकता है. कार्ड सदस्य इन नियमों और शर्तों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें इनफिनिटी पर पोस्ट किए गए संशोधन शामिल हैं और बैंक द्वारा यह माना जाएगा कि कार्ड धारक ने कार्ड का उपयोग जारी रखते हुए संशोधित नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया है. नियम और शर्तों में कोई भी बदलाव कार्ड सदस्य को उनके लागू होने की तारीख से एक महीने पहले पूर्वोक्त तरीके से सूचित किया जाएगा.

XXXI. नोटिस

इन नियमों और शर्तों के तहत सभी नोटिस या अन्य पत्र व्यवहार के तहत या उसके संबंध में, जिसमें कार्ड धारक द्वारा देय सभी राशि शामिल हैं, लिखित रूप में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई फोन बैंकिंग सेंटर,

आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, 7वीं मंजिल, सर्वे नंबर:115/27, प्लॉट नंबर–12, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500032, भारत और जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, पत्र या प्रतिकृति द्वारा किया जा सकता है को भेजी जाएगी. ऐसा कोई नोटिस या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा: (i) यदि पत्र द्वारा भेजा जाता है, व्यक्तिगत रूप से वितरित किया जाता है या डाक द्वारा भेजा जाता है, जब पत्र की याद प्रेषक के नियंत्रण से बाहर होती है; तथा (ii) यदि प्रतिकृति प्रति द्वारा भेजा जाता है, जब भेजा जाता है (सही प्रतिकृति संख्या की पुष्टि प्राप्त होने पर). बशर्ते, हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक को भेजा गया कोई भी नोटिस या पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वास्तव में प्राप्त और स्वीकार नहीं किया जाता है. नोटिस या पत्र भेजा जा सकता है: (i) आईसीआईसीआई बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज कार्ड सदस्य का पता या फैक्स नंबर और जिस पर नोटिस/पता भेजा जाना है (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है), और (ii) आईसीआईसीआई बैंक का जोनल/क्षेत्रीय/शाखा/कार्यालय का पता या फैक्स नंबर (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया गया हो), या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर जो कार्ड धारक और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एक दूसरे को लिखित रूप में दिया गया हो. कार्ड धारक (कार्ड मेम्बर) द्वारा अपने पते एवं व्यक्तिगत विवरण में किसी भी तरह के परिवर्तन के बारे में आईसीआईसीआई बैंक को सूचित करने में भूल के मामले में, आवेदन पत्र (एप्लीकेशन फॉर्म) में उल्लिखित पते पर या कार्ड धारक द्वारा दिए गए अंतिम पते पर नोटिस/पत्र भेजा जाएगा और कार्ड धारक को उचित एवं पर्याप्त सेवा प्रदान करने के लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि नोटिस आईसीआईसीआई बैंक को ''असेवित'' रूप से लौटाया जा सकता है. कार्ड सदस्य के निवास या कार्य के क्षेत्र में उपलब्ध समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस कार्ड सदस्य को इसके प्रकाशन की तिथि में प्राप्त पर्याप्त नोटिस होगा; हालांकि, एक समाचार पत्र में उपलब्ध नोटिस आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ प्रभावी नहीं समझा जाएगा जब तक कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है.

XXXII. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड की शर्तें

ये शर्तें (''शर्तें'') केवल ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले कार्ड सदस्य पर लागू होती हैं. ये नियम और शर्तें क्रेडिट कार्ड (''नियम और शर्तें'') के उपयोग के लिए अन्य नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं. जहां कहीं भी इन नियमों और नियमों एवं शर्तों के बीच कोई विरोध होता है, यह शर्तें मान्य होंगी. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर नकद निकासी की अनुमति नहीं होगी. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर कोई नकद सीमा प्रदान नहीं की जाएगी. भुगतान की देय तिथि (पेमेंट ड्यू डेट) पर कार्ड धारक को आईसीआईसीआई बैंक को कुल देय राशि (टोटल अमाउंट ड्यू) का भुगतान करना होगा. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड पर MAD के भुगतान की कोई सुविधा लागू नहीं होगी. ग्लोबल इंडियन क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान केवल ECS द्वारा किया जाएगा.

XXXIII. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की शर्तें

यह नियम और शर्तें (''शर्तें'') आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दी जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के प्रावधान पर लागू और विनियमित हैं. ये नियम और शर्तें आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों, आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और आईसीआईसीआई बैंक (''प्राथमिक शर्तें'') के बचत खाते के लिए नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं और उनको नकारती नहीं हैं.

इन शर्तों और प्राथमिक (प्राइमरी) शर्तों के बीच किसी भी विरोधाभास के मामले में, यह शर्तें मान्य होंगी. यहाँ बड़े अक्षर (कैपिटलाइज्ड) उपयोग किये गए है लेकिन परिभाषित नहीं किये गए है उन सब बड़े अक्षरों के अर्थ प्राथमिक शर्तों से संबंधित होंगे.

''खाते/तों'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अर्थ और खाते (खातों) की परिभाषा से होगा.

''वर्चुअल क्रेडिट कार्ड'' का अर्थ प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) को उसके मौजूदा कार्ड खाते (कार्ड अकाउंट) पर जारी किया गया एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड (एडिशनल क्रेडिट कार्ड) होगा. यह ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) के खाते/खातों के लॉग इन सेक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में बनाया और संग्रहीत किया जाएगा. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को भौतिक रूप से प्लास्टिक में जारी नहीं किया जाएगा.

''वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेम्बर'' का अर्थ प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) है जिसे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राथमिक नियम व शर्तों के अधीन एक ऐड–ऑन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है.

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने और सहमत होने पर, प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) को नीचे दी गई शर्तों से सहमत हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं समझा जाएगा. प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के लिए आईसीआईसीआई बैंक के लॉग इन सेक्शन के माध्यम से या समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य तरीके से आवेदन कर सकता है. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्राथमिक कार्ड सदस्य को अपनी पसंद की क्रेडिट सीमा के अंतर्गत, हालांकि, किसी भी समय अपने क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध क्रेडिट सीमा से अधिक में नहीं, ऑनलाइन लेन–देन करने में सक्षम बनाता है.

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर की गई खरीदारी का विवरण लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) में दिया जाएगा और प्राथमिक कार्ड सदस्य को कोई अलग से लेखा–विवरण (स्टेटमेंट) नहीं भेजा जाएगा. प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के नीचे उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के वर्तमान और पिछले विवरण/विवरणों

को भी देख सकता है. प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेंबर) को प्राइमरी कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से होने वाले खर्च का एक ही भुगतान करना होता है. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के मुख्य विवरण जैसे कार्ड नंबर, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी आदि केवल खाते के लॉग इन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर दिखाई देंगे. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा प्राथमिक कार्ड (प्राइमरी कार्ड) की क्रेडिट सीमा होगी. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की हॉट लिस्टिंग/ब्लॉकिंग, अकाउंट के लॉग इन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन के तहत प्रासंगिक विकल्पों पर क्लिक करके की जा सकती है. यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य खाता/खातों को बंद भी कर देता है, तो भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा चालू रहेगी.

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेनदेन तक ही सीमित होगा.

कार्ड सदस्य (कार्ड मेम्बर) को ज्ञात होगा कि ऑनलाइन लेनदेन के मामले में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर की गई खरीदारी के समय प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) द्वारा चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे. तदनुसार, प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) यह स्वीकार करता है कि, किसी भी कारणवश, इस तरह की खरीदारी या शुल्क की प्रामाणिकता या वैधता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, प्राथमिक कार्ड सदस्य (प्राइमरी कार्ड मेम्बर) आईसीआईसीआई बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और किसी भी परिस्थिति में आईसीआईसीआई बैंक को उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं ठहराएगा. यदि कोई व्यापारी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इनकार करता है तो आईसीआईसीआई बैंक इसका उत्तरदायी नहीं होगा. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा का उद्देश्य केवल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य को ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना है और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य द्वारा किए गए लेनदेन की गुणवत्ता, सुरक्षा या वैधता सुनिश्चित नहीं करती है.

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति समझा जाएगा. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य भुगतान के लिए इन शर्तों के तहत/ बाध्य/उत्तरदायी होगा और वह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर देय और देय सभी शुल्कों का भुगतान सुनिश्चित करेगा. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा, इस तरह के शुल्क / दर पर एक विशेष सुविधा होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है.

XXXIV. इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के नियम

1. यह नियम एवं शर्तें (''नियम'') आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान किए गए इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पर लागू और विनियमित हैं और आईसीआईसीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं और उनके अल्पीकरण में नहीं हैं और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) (प्राथमिक नियम एवं शर्तें) को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें है जो

www.icicibank.com पर उपलब्ध हैं. इन नियमों और प्राथमिक नियमों एवं शर्तों के बीच कोई विरोधाभास होने पर, यह शर्तें मान्य होंगी. यहाँ उपयोग किये गए बड़े अक्षर लेकिन जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया हैं, उनका अर्थ प्राथमिक नियम व शर्तों के तहत निर्दिष्ट अर्थ ही होगा.

2. ''कार्डधारक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिनकी आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) है/रखते हैं और आईसीआईसीआई बैंक के इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है और प्राथमिक नियमों एवं शर्तों के अधीन और यहाँ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है. ''इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड'' का अर्थ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्डधारक जिनकी आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) है, के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी किया गया आईसीआईसीआई बैंक इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड होगा.

3. इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए, कार्डधारक को आईसीआईसीआई बैंक के पास न्यूनतम 10,000/– रुपये की सावधि जमा को बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

4. इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा सावधि जमा राशि का पचहत्तर प्रतिशत (85%) होगी, जो न्यूनतम क्रेडिट सीमा 8,500/– और अधिकतम 5 लाख रुपये होगी.

   उक्त क्रेडिट सीमा समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन पर निर्भर करती है और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उचित रूप से कार्डधारक को सूचित किया जाएगा.

5. कार्डधारक को निर्दिष्ट तरीके से और समय–समय पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के निष्पादन पर सावधि जमा राशि जमा करने की आवश्यकता होगी. कार्डधारक को केवल आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में या ऐसे अन्य वैकल्पिक चैनल में सावधि जमा रखना आवश्यक होगा जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा समय–समय पर अपने विवेकाधिकार पर तय और सूचित किया जाएगा. इस प्रकार की गई सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) केवल ऑटो रिन्यूअल मोड पर की जाएगी. कार्डधारक/आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कार्ड को रद्द करने की स्थिति में, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधि जमा कार्डधारक द्वारा सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) करने के समय दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी.

6. इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड जारी होने पर, आईसीआईसीआई बैंक कार्डधारक द्वारा रखी गई सावधि जमा की पूरी राशि पर, कार्डधारक द्वारा अर्जित ब्याज सहित, तत्काल क्रेडिट कार्ड की समाप्ति या सावधि जमा की परिपक्वता तक, वैध अधिकार को चिह्नित करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है.

7. ऐसी स्थिति में जब आवेदक के पास आईसीआईसीआई बैंक के साथ मौजूदा सावधि जमा है, तो सावधि जमा को कार्डधारक के इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड खाते से जोड़ा जाएगा और सावधि जमा को तत्काल प्रभाव से ऑटो रिन्यूअल मोड में परिवर्तित कर दिया जाएगा. सावधि जमा के ऑटो–रिन्यूअल के समय लागू ब्याज की प्रचलित दर उक्त सावधि जमा राशि पर लागू होगी.

8. कार्डधारक इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सावधि जमा से कोई आंशिक निकासी नहीं कर पाएंगे.

9. एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्मों, माइनर द्वारा खोली गई / रखी गई सावधि जमा या आवेदक/कों द्वारा संयुक्त रूप से खोली गई सावधि जमा इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं होगी. केवल एक व्यक्ति के नाम पर की गयी सावधि जमा, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे.

10. सावधि जमा सुविधा के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध होगी.

11. सावधि जमा या इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड की समाप्ति / निकासी / रद्द करने की स्थिति में या यदि कार्डधारक नियत तारीख से 60 दिनों के भीतर इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, या यदि शर्तों के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क, शुल्क या किसी अन्य राशि सहित इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि सावधि जमा राशि के 95% से अधिक है, आईसीआईसीआई बैंक को इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आईसीआईसीआई बैंक को किसी भी समय देय बकाया राशि के खिलाफ अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण सावधि जमा राशि को समाप्त करने और इस राशि को समायोजित करने का अधिकार होगा.

    उक्त कटौती के बाद शेष बची हुई राशि कार्डधारक को वापस कर दी जाएगी.

12. इंस्टासेव सावधि जमा को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित ई–केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक–नो योर कस्टमर) सत्यापन, भौतिक केवाईसी सत्यापन या ग्राहक के माध्यम से खोले गए इंस्टासेव सावधि जमा वाले कार्डधारकों के लिए इंस्टासेव सावधि जमा और बचत खाता खोलने का लाभ उठाने के 1(एक) वर्ष के भीतर, किसी भी कारण से, उचित परिणामस्वरूप संबंधित बचत और इंस्टासेव सावधि जमा खाता बंद कर दिया जाएगा. इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में, इंस्टासेव सावधि जमा के खिलाफ कार्डधारक के पास उपलब्ध इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड को भी बंद कर दिया जाएगा, और ऐसे इंस्टासेव सावधि जमा के लिए उपलब्ध वैध अधिकार को हटा दिया जाएगा. हालांकि, यहाँ निहित या अन्य दस्तावेजों के होते हुए भी, आईसीआईसीआई बैंक को अर्जित ब्याज सहित संपूर्ण सावधि जमा राशि को समाप्त करने का अधिकार होगा, और इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में आईसीआईसीआई बैंक

को देय बकाया राशि के खिलाफ ऐसी राशि को समायोजित करने का अधिकार होगा. उक्त समायोजन के बाद शेष शेष राशि कार्डधारक को वापस कर दी जाएगी.

13. सावधि जमा पर वैध अधिकार अंकित होने के बाद इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड को सक्रिय (एक्टिवेट) कर दिया जाएगा.

14. कार्ड धारक को एक समय में केवल एक ही इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, चकली सर्किल के पास, पुराना पाद्रा रोड, वडोदरा– 390007

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051

अस्वीकरण:

''आईसीआईसीआई बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, जहां आवश्यक हो, अपने उत्पादों/सेवाओं के संबंध में बाहरी सेवा प्रदाता/ओं या एजेंट/टों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है''. ''आईसीआईसीआई बैंक'' और ''आई–मैन'' लोगो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की ट्रेडमार्क और संपत्ति हैं. किसी भी बौद्धिक संपत्ति या यहां उपलब्ध किसी भी अन्य सामग्री का दुरुपयोग पूर्णतया वर्जित है.